भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 263

बालकों का संरक्षण (अंतर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016

अक्तूबर, 2016

डा. न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान
पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभा-न : 23736758, फैक्स 23355741

Dr. Justice B. S. Chauhan
Former Judge, Supreme Court of India
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110001
Tel. 23736758, Fax 233557741

D.No. 6(3)292/2016-LC(LS)

17th October, 2016

श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

वर्तमान में, बालकों का संरक्षण एक जटिल रा-ट्रीय महत्व के मुद्दे के रुप में अभिज्ञात है । 'बालक का सर्वोत्तम हित' का सिद्धांत बाल अधिकार पर कन्वेंशन, 1989, जो 2 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ, के उपबंधों और हेग कन्वेंशन, 1980 की प्रस्तावना और उद्देश्य में पाया जा सकता है । संक्षेप में, बालकों का संरक्षण करने की इच्छा उनके सर्वोत्तम हितों के सही निर्वचन पर आधारित होनी चाहिए ।

सीमा कपूर और एक अन्य बनाम **दीपक कपूर और अन्य**, सी.आर. सं. 6449/2005, वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 24 फरवरी, 2016 के आदेश द्वारा यह मामला भारत के विधि आयोग को ''बालकों का परिवारों में से अंतर-देशीय और माता-पिता के बीच से अपसारण (रिमूअल) के अनेकानेक विवाद्यकों की परीक्षा करने और उसके पश्चात् इस बात पर विचार करने के लिए निर्दि-ट किया गया कि क्या बालक अपहरण पर हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक उपयुक्त विधि अधिनियमित की जानी चाहिए या नहीं ।''

भारत के विधि आयोग ने अंतर्वलित विवाद्यकों की परीक्षा की और यह पाया कि आयोग ने उक्त विवाद्यकों की पहले ही परीक्षा की थी और ''**अंतरा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन को स्वीकार करने की आवश्यकता**'' शी-र्क के अधीन भारत सरकार को अंतरा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 जो तारीख 1 दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुआ था, पर हस्ताक्षर करने का परामर्श देते हुए तारीख 30 मार्च, 2009 को 218वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । विधि आयोग ने इन विवाद्यकों की परीक्षा करते हुए यह पाया कि भारत सरकार ने पहले ही ''**अंतरा-ट्रीय बाल अपहरण विधेयक, 2016 के सिविल पहलू**'' का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें हेग कन्वेंशन, 1980 के अनुरूप विधेयक लाने के लिए प्रयास किया गया है और इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेब-साइट पर डाला गया है ।

मामले के महत्व और समय-समय पर व्यक्त की गई चितांओं का मूल्यांकन करने के लिए विधि आयोग ने पूरी बारीकी से मामले की परीक्षा करने का विनिश्चय किया और उक्त विधेयक के

निवास/Residence 7ए, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110001/7-A, Moti Lal Nehru Marg, N.D.-1

विभिन्न उपबंधों की पूरी तरह से परीक्षा की । उक्त विधेयक का परिशीलन करने पर विधि आयोग की यह राय है कि विधेयक का प्रारूप तैयार करने में अपनाई गई विधायी नज़ीरों और परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए और हेग कन्वेंशन, 1980 के साथ इस विधेयक के उपबंधों का उपयुक्त रूप से सामंजस्य बैठाने लिए इसका पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ।

विधि आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेब-साइट पर डाले गए उक्त विधेयक के उपबंधों को दर्शाते हुए एक तुलनात्मक विवरण, और विधि आयोग द्वारा किए गए परिवर्तनों/उपांतरणों को उपदर्शित करते हुए आयोग द्वारा सिफारिश किया गया पुनरीक्षित विधेयक तैयार किया है । विधि आयोग द्वारा सिफारिश किया गया बालकों का संरक्षण (अंतर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016 का पाठ उपाबंध-2 के रूप में सलंग्न है । मेरा विश्वास है कि विधि आयोग द्वारा तैयार की गई 263वीं रिपोर्ट में बालकों और उनके अभिभावकों से संबंधित चिंताओं को इंगित किया गया है और हेग कन्वेंशन, 1980 पर हस्ताक्षर करने हेतु भारत के लिए मंच तैयार करने का प्रयास किया गया है ।

मैं रिपोर्ट संख्यांक 263 की एक प्रति सरकार द्वारा विचार करने के लिए सलंग्न कर रहा हूं ।

आयोग सुश्री अदिति सांवत, परामर्शदात्री द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में किए गए सहयोग को ज्ञापित करता है ।

आपका,

(डा. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान)

श्री रवि शंकर प्रसाद,
विधि और न्याय मंत्री,
शास्त्री भवन,
नयी दिल्ली ।

रिपोर्ट सं. 263

बालकों का संरक्षण (अन्तर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016

अंतर्वस्तुओं की सूची

क्र. सं.	शी-र्क	पृ-ठ
1.	पृ-ठभूमि	1
2.	प्रस्तावना	2-3
3.	भारत के उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय	4-6
4.	कनाडा, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालयों के निर्णय	7
5.	बालकों पर घरेलू हिंसा का प्रभाव	8
6.	हेग कन्वेंशन, 1980 की मुख्य विशे-षताएं	9
7.	भारत सरकार द्वारा की गई पहल	10-11
8.	बाल अपहरण का बालकों के अंतर-देशीय अपसारण से सुभिन्न होना	12
9.	सिफारिशें	13
	महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेब-साइट पर डाले गए प्रारूप विधेयक तथा भारत के विधि आयोग द्वारा सिफारिश किए गए पुनरीक्षित विधेयक (उपाबंध-1) के उपबंधों को दर्शाते हुए तुलनात्मक विवरण	14-39
	भारत के विधि आयोग द्वारा सिफारिश किए अनुसार बालकों का संरक्षण (अंतर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016 (उपाबंध-2)	40-54
10.	**निर्देश**	55

1. पृ-ठभूमि

1.1 **सीमा कपूर और एक अन्य** बनाम **दीपक कपूर और अन्य**, सीआर सं. 6449/2005, वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 24 फरवरी, 2016 के आदेश द्वारा यह मामला भारत के विधि आयोग को ''परिवारों में से बालकों का अंतर-देशीय और माता-पिता के बीच से अपसारण के अनेकों विवाद्यकों की परीक्षा करने और उसके पश्चात् इस बात पर विचार करने के लिए निर्दि-ट किया गया कि क्या बाल अपहरण पर हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक उपयुक्त विधि अधिनियमित की जानी चाहिए या नहीं ।''

1.2. भारत के विधि आयोग ने निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् अंतर्वलित विवाद्यकों की परीक्षा की और यह पाया कि आयोग ने उक्त विवाद्यकों की पहले ही परीक्षा की थी और ''**अंतररा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 को स्वीकार करने की आवश्यकता**'' शी-र्क के अधीन भारत सरकार को अंतररा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् हेग कन्वेंशन, 1980 कहा गया है), जो तारीख 1 दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुआ था, पर हस्ताक्षर करने का परामर्श देते हुए तारीख 30 मार्च, 2009 को 218वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ।

1.3. आयोग ने इन विवाद्यकों की परीक्षा करते हुए यह भी पाया कि भारत सरकार ने पहले ही ''**अंतररा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलू विधेयक, 2016**'' (जिसे इसमें इसके पश्चात् विधेयक कहा गया है) का प्रारूप तैयार किया है, जो मौटे तौर पर हेग कन्वेंशन, 1980 के अनुरूप और अनुकूल है । उक्त विधेयक को महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेब-साइट पर डाला गया है ताकि पणधारी इसमें सुधार के लिए अपनी टिप्पणियां फाइल कर सकें या सुझाव दे सकें ।

2. प्रस्तावना

2.1 विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है । वैश्विक नौकरी बाजार के कारण सभी संस्कृतियों और पृ-ठभूमियों के लोगों का संचलन बढ़ा है । इस प्रकार, विभिन्न देशों और सांस्कृतिक पृ-ठभूमियों के लोगों ने आशान्वित रूप से पारिवारिक ईकाइयां सृजित की । सीमा-पार के वैवाहिक संबंधों वाले तीन करोड़ से अधिक भारतीय विदेशों में बसे हैं । जब इस प्रकार की बहुविध पारिवारिक ईकाई में दरार आती है, तो बालकों को (कभी-कभी शिशुओं को) इसका क-ट भोगना पड़ता है, क्योंकि वे अपने माता-पिता के बीच चलने वाली अंतरा-ट्रीय विधिक लड़ाई में घसीटे जाते हैं । पति-पत्नी के बीच से बालक के अपसारण को सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली कहा जा सकता है क्योंकि बालकों को स्वयं उनके माता-पिता द्वारा सक्षम न्यायालयों के अंतरिम/अंतिम आदेशों का अतिक्रमण करके या व्यथित माता या पिता के पैतृक अधिकारों का अतिक्रमण करके भारत या अन्य विदेशी अधिकारिता से अपहृत कर लिया जाता है । ऐसी स्थिति में, बालक को एक भिन्न विधिक व्यवस्था, संस्कृति और भा-ा वाले देश में ले जाया जाता है । बालक का माता-पिता में से किसी एक से संपर्क टूट जाता है और उसे भिन्न प्रथाओं और जीवन के भिन्न सन्नियमों वाले एक पूर्णतः भिन्न समाज में प्रतिरोपित कर दिया जाता है ।

2.2. हेग कन्वेंशन, 1980 की प्रस्तावना और उद्देश्य तथा अंतरा-ट्रीय बाल अपहरण विधेयक 'बालक के सर्वोत्तम हित' के सिद्धांत का आह्वान करता है । दूसरे शब्दों में, बालक को वापस अभिप्राप्त करने में पूर्वोक्त विधियों का उद्देश्य, बालक के हित के मुकाबले, अधीनस्थ रहना चाहिए । बालकों का संरक्षण करने की इच्छा उनके सर्वोत्तम हितों के सही निर्वचन पर आधारित होनी चाहिए ।

2.3. बालकों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989, जो तारीख 2 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ, के उपबंधों में भी पाया जा सकता है । भारत ने तारीख 11 दिसम्बर, 1992 को इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और

संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2016 के अधिनियम सं. 2 द्वारा यथा अधिनियमित) की धारा 2 के खंड (9) में 'बालक के सर्वोत्तम हित' पद को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है :

" 'बालक के सर्वोत्तम हित' से बालक के संबंध में उसके मूल अधिकारों और आवश्यकताओं, पहचान, सामाजिक भलाई और शारीरिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक विकास की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी विनिश्चय का आधार, अभिप्रेत है ।"

3. भारत के उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय

3.1 **मैकग्राथ (इन्फेंटस)** [1893] 1 सीएच 143 वाले मामले में न्यायमूर्ति लिंडले ने यह मत व्यक्त किया :

> "न्यायालय के विचार के लिए प्रमुख वि-नय बालक का कल्याण है । किंतु बालक के कल्याण को केवल धन द्वारा और न केवल शारीरिक सुख द्वारा आंका जाना चाहिए । कल्याण शब्द को इसके व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए । बालक के नैतिक और धार्मिक कल्याण के साथ-साथ उसके शारीरिक सुख-सुविधा पर भी विचार किया जाना चाहिए ।"

3.2 ये शब्द एक शताब्दी बाद भी सुसंगत हैं और विभिन्न भारतीय न्यायिक निर्णयों में इनका उल्लेख किया गया है । न्यायालय ने **लक्ष्मी कांत पांडे** बनाम **भारत संघ,** ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 469 ; **गौरव जैन** बनाम **भारत संघ**, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 2021 और **नील रतन कुंडु** बनाम **अभिजीत कुंडु**, (1008) 9 एस. सी. सी. 413 वाले मामलों में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989 को निर्दि-ट किया और बालक के सर्वोतम हितों के सिद्धांत के महत्व पर जोर दिया ।

3.3 **डा. वी. रवि चन्द्रन्** बनाम **भारत संघ**, (2010) 1 एस. सी. सी. 174 और **आरती बांदी** बनाम **बांदी जगद्राक्षक राव**, ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 918 वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय ने संबंधित बालकों को 'कामिटी आफ कोर्टस' सिद्धांत के आधार पर उनके सर्वोत्तम हितों और कल्याण, जो कि प्रमुख वि-नय है, का अवधारण करने के लिए उनके अभ्यासतः निवास-स्थान के देश को लौटाने का निदेश दिया ।

3.4 **रुक्साना शर्मा** बनाम **अरुण शर्मा**, ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2232 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पति-पत्नी में से किसी द्वारा अभिरक्षा के अधिकारों के हकदार होने की अपेक्षा करते हुए न्यायिक रूप से अवधारण किए जाने की 'फोर्म शोपिंग' परिपाटी की निंदा की । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :

> " .....बालक कोई वस्तु या गेंद नहीं जिसे माता-पिता के पास इधर से उधर उछाला जाए । केवल बालक का कल्याण ही विचार का केन्द्र बिंदु है ।"

3.5 ऐसे मामलों में, न्यायालय बालक के सर्वोत्तम हितों और कल्याण का विनिश्चय करने के लिए अपनी पेरन्स पेटरेई अधिकारिता का प्रयोग करता है । इसको ध्यान में रखते हुए, मुकदमा लड़ने वाले अभिभावकों के विरोधी हितों का मुद्दा महत्वहीन हो जाता है । न्यायालय इस असाधारण अधिकारिता का प्रयोग पक्षकारों के कानूनी अधिकार की अनदेखी करते हुए करता है ।

3.6 **रूचि माजू** बनाम **संजीव माजू**, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1952 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि बालक न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर मामूली तौर पर निवासी नहीं है, तो न्यायालय को मामले की स्वतंत्र रूप से परीक्षा करनी चाहिए ।

3.7 हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **सूर्य वदानन** बनाम **तमिलनाडु राज्य**, ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2243 वाले मामले में सक्षिप्त और स्प-ट रूप से उन सभी सिद्धांतों को दोहराया, जो न्यायालयों ने अंतरा-ट्रीय पैतृक अपहरण का निर्णय करने के लिए व-र्ों से लागू किए हैं । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि –

* 'कोमिटी आफ कोर्टस एंड नेशन्स' के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए और 'बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण' का सिद्धांत लागू करना चाहिए;

* किसी घरेलू न्यायालय द्वारा 'कोमिटी आफ कोर्टस' नियम की आबद्धकारी विशे-ा कारणों को लिखित में लेखबद्ध करने के सिवाय उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ;

* बालक की अभिरक्षा के संबंध में सक्षम अधिकारिता वाले विदेशी न्यायालय के अंतर्वर्ती आदेशों का घरेलू न्यायालयों द्वारा अवश्य सम्मान किया जाना चाहिए ; और

* जब किसी स्थानीय न्यायालय में किसी बालक की अभिरक्षा का मुकदमा विचाराधीन है और किसी सक्षम विदेशी न्यायालय का पूर्व-विद्यमान आदेश है तो स्थानीय न्यायालयों द्वारा की जाने वाली विस्तृत या संक्षिप्त जांच कारणों पर आधारित होनी चाहिए और नैत्यिक रीति में आदेश नहीं करना चाहिए ।

3.8 सरल शब्दों में, बालक के कल्याण को प्राथमिक महत्व दिया जाना चाहिए और दूसरी बात यह कि 'कोमिटि आफ कोर्टस सिद्धांत' पर विचार किया जाना चाहिए, जो कि एक 'स्व-अंकुश का सिद्धांत है ।

3.9 ऐसे मामलों में, जहां विदेशी न्यायालय की अधिकारिता पर संदेह नहीं है, वहां 'प्रथम पहल' (फस्ट स्ट्राइक) सिद्धांत लागू होगा, अर्थात् मामला जिस न्यायालय के पास पहले विचार के लिए आएगा, उसे बालक के कल्याण का न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता का परमाधिकार होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, जब कभी मामला किसी विदेशी न्यायालय में लंबित है और उक्त न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है तो भारतीय न्यायालय को मामले में कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ।

3.10 न्यायालयों द्वारा बारम्बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विदेश से बालक की स्वदेश वापसी से बालक को - (क) कोई नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक अपहानि कारित नहीं होनी चाहिए ; (ख) उस माता या पिता को कोई विधिक अपहानि कारित नहीं होनी चाहिए, जिसके साथ बालक भारत मे रह रहा है ; (ग) मानव अधिकारों और प्राप्तकर्ता

देश अर्थात् जहां बालक को धारित किया जा रहा है, की स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए ; और (घ) बालक के कल्याण- सिद्धांत पर विचार करते हुए बालक की प्राथमिक रूप से देखरेख करने वाले पक्षकार को सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए ।

3.11 इसके अतिरिक्त, यदि बालक विदेशी न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में 'मामूली तौर पर निवासी' है तो ऐसे मामलों में यह विनिश्चय करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि क्या विदेशी न्यायालय को प्रश्नगत बालक पर अधिकारिता है या नहीं और उसके पश्चात् विदेशी न्यायालय के आदेश को सम्यक् महत्व और सम्मान दिया जाना चाहिए । किसी मुकदमेबाज को किसी न्यायालय के अंतरिम या अंतिम आदेश का केवल इस कारण अनुपालन न करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है कि माता या पिता में से किसी एक की यह राय है कि ऐसा आदेश गलत है ।

4. कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालयों के निर्णय

4.1 **थॉमसन** बनाम **थॉमसन** (1994) 3 एस. सी. आर. 551, वाले मामले में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद्यक पर विचार करते हुए कि शारीरिक, नैतिक या सांस्कृतिक अपहानि की मात्रा कितनी हो, जो बालक को उसके अभ्यासतः निवास-स्थान पर लौटाने के आदेश की इनकारी को न्ययोचित ठहराए, इस संबंध में यह स्प-ट किया गया कि अपहानि की मात्रा इतनी होनी चाहिए जो असहनीय स्थिति की कोटि में आती हो । "सारभूत" मनोवैज्ञानिक अपहानि का "गंभीर" जोखिम होना चाहिए । "यह उस जोखिम की अपेक्षा थोड़ा अधिक होना चाहिए जिसकी बालक को माता-पिता में से किसी एक से दूर करके उसे दूसरे को दे देने पर प्रसामान्यतः प्रत्याशा की जा सकती है ।"

4.2 'एस' (एक बालक), (2012) यूकेएसएसी 10, वाले मामले में यूनाइटेड किंगडम के उच्चतम न्यायालय ने 'ई' (एक बालक) **(अपहरण-अभिरक्षा अपील)**, (2011) यूकेएससी 27, वाले मामले में अपने ही एक निर्णय को निर्दि-ट किया और यह मत व्यक्त किया कि हेग कन्वेंशन, 1980 के अनुच्छेद 13(ख) के अधीन प्रतिरक्षा किसी माता-पिता की बालक के साथ 'अभ्यासतः निवास-स्थान' वाले राज्य में वापसी के बारे में चिंताओं पर आधारित हो सकती है, जो पत्नी के व्यक्तिपरक जोखिम पर आधारित नहीं होगी, अपितु फिर भी ऐसी प्रबलता पर आधारित होगी जो उस बालक के पैतृत्व को उस स्तर तक अस्थिर कर दे, जिस पर बालक की स्थिति असहनीय हो जाएगी ।

4.3 **लोज़ानो** बनाम **मोनटोया अलवरेज़,** 34 एस. सी.1224 (2014) वाले मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने हेग कन्वेंशन, 1980 के संयुक्त राज्य के एक घरेलू हिंसा के मामले में बालक पर घरेलू हिंसा के प्रभाव को यह मत व्यक्त करते हुए प्रज्ञापित किया :–

> "बालक की वापसी से वहां इनकार किया जा सकता है, यदि ऐसा करने से मानव अधिकारों के संरक्षण और मूलभूत स्वतंत्रता संबंधी मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता हो ।"

5. बालकों पर घरेलू हिंसा का समाघात

5.1 यदि, कोई स्त्री घरेलू हिंसा से ग्रस्त है और 'अभ्यासतः निवास-स्थान' से बालक के साथ भाग जाती है, भले ही हिंसा बालक के प्रति न हो, तो भी इससे बालक पर अति गंभीर समाघात और असर पड़ सकता है । अतः, ऐसे मामले में न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या बालक के संप्रत्यावर्तन से उसको कोई नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मनौवैज्ञानिक अपहानि, या माता को, जिसके साथ बालक भारत में है, कोई अन्य विधिक अपहानि कारित तो नहीं होगी या जैसा कि स्वयं हेग कन्वेंशन, 1980 में उपबंधित है, मूल अधिकारों या मानव अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं होगा ।

5.2 दुर्भाग्यवश, प्रति-अधिकारिता वि-नयक विवाह-विच्छेदों (क्रॉस ज्यूरिसडिक्शनल डाइवोरसिज़), 'हालिडे मैरिजिज़' या 'लिंपिग मैरिजिज़' में अंतवर्लित स्त्रियों को अभिरक्षा पाने की लड़ाई में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो अधिकारिता, न्यायिक आश्रय और स्रोतों तक पहुंच से संबंधित होती है । इसे स्त्रियों के हितों के विरुद्ध एक पूर्वाग्रह के रूप में देखा जा सकता है । स्त्री को ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए, जहां उसे अपने बालकों तथा विदेश में अपमानजनक संबंध के साथ तालमेल बैठाने, इन दोनों के बीच असंभव चयन करना पड़े । पति और पत्नी के बीच इस प्रकार की कलह से पति या अन्यों के हाथों पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन के लिए जोखिम की आशंका पैदा होती है और बहुत बार पक्षकार पुलिस और सिविल सोसायटी/सामाजिक कार्यकर्ताओं के संरक्षण की ईप्सा करते हैं ।

5.3 रोचक बात यह है कि आंकड़ों से, विशि-टतः विकासशील देशों में आने वालों के, जहां विवाह-विच्छेद के लिए संघर्-नरत स्त्रियों की दशा दुखद है, यह दर्शित होता है कि वैश्विक स्तर पर माता या पिता में से अभिरक्षा प्राप्त करने वालों में 68 प्रतिशत माताएं थी, इन प्रत्यर्थी-माताओं में से 85 प्रतिशत अपने बालकों की प्राथमिक देखरेख करने वाली थीं और 54 प्रतिशत उस देश में अपने घर गई जिसमें उनकी नागरिकता थी, भले ही वह उनका अभ्यासतः निवास-स्थान न हो ।

6. हेग कन्वेंशन, 1980 की मुख्य विशे-ताएं

6.1 हेग कन्वेंशन, 1980 आवश्यक रूप से दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए था, अर्थात् अपसारण से होने वाले अपहानिकर प्रभाव से बालक का संरक्षण करना, और बालक की उसके 'अभ्यासतः निवास-स्थान' के माहौल में तुरंत वापसी तथा पुनर्मिलन सुनिश्चित करना और ये दोनों उद्देश्य उस विशि-ट विचार के समवर्ती हैं जिससे बालक के 'सर्वोत्तम हित' की बात का गठन होता है ।

6.2 हेग कन्वेंशन, 1980 की मुख्य विशे-ताएं ये हैं : –

* यह ऐसे बालक की वापसी के लिए त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिसे संविदाकारी पक्षकार ने अपने 'अभ्यासतः निवास-स्थान' के देश में सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित किया है ;

* यह सुनिश्चित करता है कि संविदाकारी राज्यों के किसी राज्य की विधि के अधीन अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारों का अन्य संविदाकारी राज्य में प्रभावी रूप से सम्मान किया जाए ;

* यह बालक को 'अभ्यासतः निवास-स्थान' के देश में वापिस पूर्व यथास्थिति पुनःस्थापित करता है ;

* वापसी का आदेश अभिरक्षा के विवाद्यक का अंतिम अवधारण नहीं है, अपितु यह बालक की उस अधिकारिता में वापसी का उपबंध करता है जो अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारों का अवधारण करने के लिए सबसे उचित है ; और

* प्रत्येक देश, जिसने कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, को एक केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए जो ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करे । कन्वेंशन केन्द्रीय प्राधिकरण की कतिपय भूमिकाओं और कृत्यों को अधिकथित करता है । यह प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, बालकों का पता लगाने में सहायता करेगा ; सौहादपूर्ण हल के लिए प्रोत्साहित करेगा और बालकों की वापसी के लिए अनुरोधों पर कार्यवाही करने में सहायता करेगा ।

7. भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

7.1 अंतरर-ट्रीय पैतृक अपहरण (इंटरनेशनल पेरंटल अबडक्शन) पर हाल ही में तैयार किया गया भारतीय प्रारुप विधेयक हेग कन्वेंशन, 1980 के अनुरूप है और इसके उपबंधों को प्रतिबिम्बित करता है । भारत अभी हेग कन्वेंशन, 1980 का हस्ताक्षरी देश नहीं है । यह विधेयक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक मंच तैयार करने का प्रयत्न है ।

* विधेयक में एक केन्द्रीय प्राधिकरण के गठन का उपबंध है ।

* बालक की वापसी के संबंध में हेग कन्वेंशन, 1980 के अधीन किया गया कोई विनिश्चय अभिरक्षा के विवाद्यक का गुणागुण के आधार पर अंतिम अवधारण नहीं है ।

* इस विधेयक में ऐसे बालक के वि-नय में केन्द्रीय प्राधिकारियों की भूमिका की रुपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसे भारत में, और भारत से हेग कन्वेंशन, 1980 के किसी अन्य संविदाकारी देश में अपसारित किया जाता है ।

* इस विधेयक में बालक की वापसी को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अधिकथित की गई है और बालक की अभिरक्षा प्रत्यावर्तित कराने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय में आवदेन करने का उपबंध है ।

* इस विधेयक में कतिपय आधारों पर अभिरक्षा से इनकार करने के लिए न्यायालय को सशक्त किया गया है । इसमें भारत के न्यायालयों को बालक के 'अभ्यासतः निवास-स्थान' के राज्य के विनिश्चयों को मान्यता देने के लिए अनुज्ञात किया गया है । इसमें यह भी उल्लिखित है कि भारतीय न्यायालय जो विदेशी न्यायालय के अंतरिम/अंतिम आदेश की अवहेलना करना चाहता है तो वह इसके कारणों को अभिलिखित करेगा ।

7.2 विधेयक में भारतीय न्यायालयों को उन संविदाकारी राज्यों के केन्द्रीय प्राधिकरणों से, जिसमें बालक को अपसारित किया गया था, किसी विनिश्चय की ईप्सा करने के लिए सशक्त किया गया है ।

7.3 जहां तक संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के उपबंधों में प्रतिबिम्बित भारतीय विधि का संबंध है, किसी बालक की अभिरक्षा से संबंधित विवाद्यक सदैव स्वतंत्र रहता है और अंतिम नहीं माना जाता है क्योंकि इसे सदैव विद्यमान परिस्थितियों में किया गया

अस्थायी आदेश समझा जाता है । समय बीतने सहित परिवर्तित दशाओं और परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे आदेश को, यदि बालक के हित और कल्याण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, परिवर्तित कर सकेगा । ऐसे मामलों में 'पुरोबंध' और 'प्राड़ न्याय' के सिद्धांत लागू नहीं होंगे । [**रोज़ी जैकब** बनाम **जैकब ए. चकरामक्कल,** ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2090 और **डा. आशी-न रंजन** बनाम **डा. अनुपमा टंडन** (2010) 14 एस. सी. सी. 274 वाले मामले दृ-टव्य हैं]

8. बाल-अपहरण का बालकों के अंतर-देशीय अपसारण से सुभिन्न होना

8.1 अधिकांश देशों द्वारा बाल-अपहरण के मामलों में कठोर कार्यवाही की जाती है, किंतु सीमा-पार से स्वयं बालक के माता या पिता द्वारा बालक के अपहरण का मामला एक गूढ़ विधि द्वारा शासित होता है । रा-ट और रा-ट्र के बाहर दोनों स्तर पर परम्परागत रूप से ज्ञात मामले, जो बाल अपहरण के मामलों के रूप में जाने जाते हैं, उनमें लागू होने वाले नियमों की वि-मता "पैतृक बाल अपहरण" के लिए विधिक उपचार की जटिलता को बढ़ा देते हैं ।

8.2 'अपहरण' भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 362 में ऐसे कृत्य के रूप में स्प-ट किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवचंनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है । अपहरण अपने आप में कोई अपराध नहीं, बल्कि एक सहायक कृत्य है, जो स्वयंमेव दंडनीय नहीं है किंतु जब यह कृत्य कोई अन्य अपराध कारित करने के आशय से किया जाता है, तो यह कृत्य स्वतः अपराध के रूप में दंडनीय हो जाता है । 'पैतृक अपहरण' के मामलों में ये तथाकथित 'अपहरणकर्ता' अधिकांश समय पर प्रेमी माता-पिता होते हैं । माता या पिता में से एक द्वारा बालक को उसकी अभिरक्षा खो देने के भय से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाता है, अर्थात् ऐसा अपहरण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है, अत्यधिक प्यार और स्नेह के कारण किया जाता है न कि बालक को अपहानि कारित करने या कोई अन्य अंतरस्थ प्रयोजन की प्राप्त के लिए किया जाता है । इसलिए हेग कन्वेंशन, 1980 में यद्यपि 'अपहरण' शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भी इसका आशय आपराधिक विधिशास्त्र के अधीन आने वाले अपराध के साधारण मामले जैसा नहीं है । इसलिए हेग कन्वेंशन, 1980 के अंतर्गत आने वाले 'अपहरण' शब्द को "सदो-न अपसारण या प्रतिधारण" के शीघ्रलेखन की एक बेहतर समुचित शब्दावली के रूप में समझा जाना चाहिए, जो कि हेग कन्वेंशन, 1980 के समस्त पाठ में दिखाई पड़ता है । अतः, सर्वप्रथम विधि आयोग की यह राय है कि वर्तमान विधेयक से 'अपहरण' शब्द को हटा दिया जाए ।

8.3 जो भी स्थिति हो, सदो-न अपसारण और प्रतिधारण से माता या पिता में से किसी एक पर न केवल गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपितु बालक के सर्वांगीण विकास पर भी असर पड़ता है । इसके अतिरिक्त, अपसारण और प्रतिधारण से बालक की अभिरक्षा के संबंध में सक्षम न्यायालय के आदेश की नितांत अवहेलना या अतिक्रमण हो सकता है । इस पृ-ठभूमि में, बहुत-से देशों ने ऐसे सदो-न अपसारण और प्रतिधारण को एक दंडनीय अपराध बनाया है । यूनाइटेड किंगडम में चाइल्ड अबडक्शन ऐक्ट, 1984 में ऐसे सदो-न अपसारण और प्रतिधारण के लिए सात व-र्ा के कारावास से दंडनीय अपराध के रूप में अति कठोर उपबंध किए गए हैं ।

9. सिफारिशें

9.1 क्योंकि भारत के विधि आयोग ने पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, इसलिए हमारी यह सुविचारित राय है कि विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने से किसी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी । तथापि, प्रारूप विधेयक का परिशीलन करने पर विधि आयोग की यह राय है कि पूर्वगामी चर्चा, विधायी नज़ीरों और विधेयकों के प्रारूपिकरण में अनुसरण की जाने वाली परिपाटियों, और इस विधेयक के उपबंधों का हेग कन्वेंशन, 1980 के उपबंधों के साथ उपयुक्त रूप से सामंजस्य बैठाने के लिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है । महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेब-साइट पर डाले गए प्रारूप विधेयक और भारत के विधि आयोग द्वारा किए गए परिवर्तनों/उपांतरणों को उपदर्शित करते हुए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित विधेयक के उपबंधों को दर्शित करते हुए एक तुलनात्मक विवरण उपाबंध-1 के रूप में सलंग्न है । भारत के विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बालकों का संरक्षण (अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016 उपाबंध-2 के रूप में सलंग्न है ।

(न्यायमूर्ति डा. बी. एस. चौहान)
अध्यक्ष

(न्या. रवि आर. त्रिपाठी)
सदस्य

[प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार]
सदस्य

(डा. संजय सिंह)
सदस्य-सचिव

(सुरेश चन्द्रा)
पदेन सदस्य

(डा. जी. नारायण राजू)
पदेन सदस्य

महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेब-साइट पर डाले गए प्रारूप-विधेयक और भारत के विधि आयोग द्वारा सिफारिश किए गए पुनरीक्षित विधेयक के उपबंधों को दर्शाते हुए तुलनात्मक विवरण

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया विधेयक	**पुनरीक्षित विधेयक**
अंतरर्रा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलू विधेयक, 2016 किसी संविदाकारी राज्य से सदो-न अपसारित या उस राज्य में सदो-न प्रतिधारित बालक की तत्परता से वापसी अभिप्राप्त करने, यह सुनिश्चित करने कि एक संविदाकारी राज्य की विधि के अधीन अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारों का दूसरे संविदाकारी राज्यों द्वारा सम्मान किया जाए और एक केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने तथा उससे संबंधित और उससे आनु-ंगिक वि-नयों का उपबंध करने के लिए विधेयक	**बालकों का संरक्षण (अंतर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण विधेयक, 2016** किसी संविदाकारी राज्य से सदो-न अपसारित या उस राज्य में सदो-न प्रतिधारित बालक की तत्परता से वापसी **सुनिश्चित** करने, यह सुनिश्चित करने कि संविदाकारी **राज्यों** के किसी राज्य की विधि के अधीन अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारों का दूसरे संविदाकारी **राज्यों** में **प्रभावी रूप से** सम्मान किया जाए और **अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, बालकों की वापसी हेतु सौहादपूर्ण हल के लिए प्रोत्साहित करने और वापसी के लिए किए गए अनुरोधों पर कार्यवाही करने में सहायता करने के लिए** एक केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने तथा उससे संबंधित और उससे आनु-ंगिक वि-नयों का उपबंध करने के लिए विधेयक
बालकों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में उनके हितों का महत्व सर्वोपरि है ;	**बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989, जो तारीख 2 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ, को दृ-टिगत करते हुए** बालकों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में उनके हितों का महत्व सर्वोपरि है ;
और भारत अंतरर्रा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल	

पहलुओं पर हेग कन्वेंशन में एक पक्षकार है ;	
और उक्त कन्वेंशन तारीख 01 दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुआ ;	और अंतररा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 **तारीख 01 दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुआ,**
और उक्त कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य किसी संविदाकारी राज्य से अपसारित या उसमें प्रतिधारित बालकों की तत्परता से वापसी अभिप्राप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि एक संविदाकारी राज्य की विधि के अधीन अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारों का अन्य संविदाकारी राज्यों में सम्मान किया जाए ;	और **उक्त कन्वेंशन को, जहां तक इसका संबंध किसी ऐसे बालक की तत्परता से वापसी से है, जिसे संविदाकारी पक्षकार ने अपने देश में उसके अभ्यासतः निवास-स्थान में अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारो का अतिक्रमण करके सदो-ा अपसारित या प्रतिधारित किया है, कार्यान्वित करना आवश्यक है** ;
और यह आवश्यक समझा गया है कि किसी संविदाकारी राज्य से अपसारित या उसमें प्रतिधारित बालकों की तत्परता से वापसी सुनिश्चित करने, यह सुनिश्चित करने कि एक संविदाकारी राज्य की विधि के अधीन अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारों का अन्य संविदाकारी राज्यों में सम्मान करने के लिए उपबंध किए जाएं ; और तद्द्वारा उक्त कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी किया जाए ;	
भारत गणराज्य के पैंसठवे व-र् मे संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :	भारत गणराज्य के.......... व-र् मे संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
अध्याय 1 **प्रारंभिक**	**अध्याय 1** **प्रारंभिक**
1. (1) इस विधेयक का नाम अंतरराट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलू विधेयक, 2016 है ।	**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, अनुप्रयोजन और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालकों का संरक्षण (अंतर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण) अधिनियम, 2016 है ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है (सिवाय जम्मू और कश्मीर)	(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर **राज्य**

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे : परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवर्तन के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।	को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है । (3) **इस अधिनियम के उपबंध ऐसे प्रत्येक बालक को उसकी भारत में रा-ट्रीयता, धर्म, या प्रास्थिति को विचार में लाए बिना लागू होंगे जिसने सोलह व-र्ा की आयु पूरी नहीं की है और भारत से सदो-ापूर्ण अपसारित या भारत में सदो-ापूर्ण प्रतिधारित किया गया है ।** (4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे : परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसे उपबंध में **किसी** ऐसे निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवर्तन के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, - (क) "आवेदक" से ऐसा कोई व्यक्ति जो कन्वेंशन के अनुसरण में केन्द्रीय प्राधिकरण या कन्वेंशन के किसी अन्य पक्षकार के केन्द्रीय प्राधिकरण को ऐसे बालक की वापसी के लिए, जिसे अभिकथित रूप से अपसारित या प्रतिधारित किया गया है या कन्वेंशन के अनुसरण में पहुंच के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को संचालित करने के लिए प्रबंध करने या इसे सुनिश्चित करने के लिए आवेदन करता है, अभिप्रेत है ; (ख) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 4 के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्राधिकरण अभिप्रेत है ; (ग) "संविदाकारी राज्य" से अंतररा-ट्रीय	**2. परिभा-ााएं**— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— (क) "आवेदक" से ऐसा कोई व्यक्ति जो कन्वेंशन के अनुसरण में केन्द्रीय प्राधिकरण या कन्वेंशन के किसी अन्य पक्षकार **राज्य** के केन्द्रीय प्राधिकरण को ऐसे बालक की वापसी के लिए, जिसे अभिकथित रूप से अपसारित या प्रतिधारित किया गया है या **उक्त** कन्वेंशन के अनुसरण में पहुंच के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को संचालित करने के लिए प्रबंध करने या इसे सुनिश्चित करने के लिए आवेदन करता है, अभिप्रेत है ; (ख) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 4 के अधीन **गठित** केन्द्रीय प्राधिकरण अभिप्रेत है ; (ग) "संविदाकारी राज्य" से अंतररा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग

बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन और उसका हस्ताक्षरी राज्य अभिप्रेत है ;	कन्वेंशन और उसका हस्ताक्षरी राज्य अभिप्रेत है ;
(घ) "कन्वेंशन" से अंतरराट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, जिस पर प्रथम अनुसूची में वर्णित अनुसार तारीख 25 अक्तूबर, 1980 को हेग में हस्ताक्षर किए गए, अभिप्रेत है ;	(घ) "कन्वेंशन" से अंतरराट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, जिस पर प्रथम अनुसूची में वर्णित अनुसार तारीख 25 अक्तूबर, 1980 को हेग में हस्ताक्षर किए गए, अभिप्रेत है ;
(ड.) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;	(ड.) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
(च) किसी बालक का "अभ्यासतः निवास-स्थान" वह स्थान है जहां बालक अपने माता-पिता दोनों के साथ निवास करता है ; अथवा यदि माता-पिता पृथक-पृथक रह रहे हैं, तो किसी पृथक्करण करार या माता-पिता में से एक-दूसरे की विवक्षित सहमति से या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन या माता-पिता से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्थायी तौर पर पर्याप्त लंबी अवधि से, जो सबसे बाद हो, रहता है ;	(च) किसी बालक का "अभ्यासतः निवास-स्थान" वह स्थान है जहां बालक अपने माता-पिता दोनों के साथ निवास करता है ; अथवा यदि माता-पिता पृथक-पृथक और अलग रह रहे हैं, तो किसी पृथक्करण करार या माता-पिता में से एक-दूसरे की विवक्षित सहमति से या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन या माता-पिता से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्थायी तौर पर पर्याप्त लंबी अवधि से, जो सबसे बाद की हो, रहता है ;
(छ) "सदस्य" से केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष, यदि कोई हो, भी है ;	(छ) "सदस्य" से केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष, यदि कोई हो, भी है ;
(ज) " विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;	(ज) " विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
(झ) बालक के संबंध में "पहुंच" के अधिकार के अंतर्गत बालक को एक सीमित अवधि के लिए उसके अभ्यासतः निवास-स्थान से भिन्न किसी स्थान पर लेने जाने का अधिकार भी है ;	(झ) बालक के संबंध में "पहुंच" के अधिकार के अंतर्गत बालक को एक सीमित अवधि के लिए उसके अभ्यासतः निवास-स्थान से भिन्न किसी स्थान पर लेने जाने का अधिकार भी है ;
(ञ) किसी बालक के संबंध में "अभिरक्षा के अधिकार" के अंतर्गत उस बालक के शरीर की देखरेख संबंधी अधिकार और, विशि-ट रूप से, बालक के निवास-स्थान	(ञ) किसी बालक के संबंध में "अभिरक्षा के अधिकार" के अंतर्गत उ**स बालक के शरीर की देखरेख संबंधी अधिकार, बालक के विकास और भलाई के बारे में दीर्घावधि**

का अवधारण करने के अधिकार भी हैं ।	**के विनिश्चय करना** और विशि-ट रूप से, बालक के निवास-स्थान का अवधारण करने के अधिकार भी हैं ।
3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी बालक का भारत से सदो-न अपसारण या भारत में सदो-न प्रतिधारण करना वहां समझा जाना चाहिए, जहां–	**3. सदो-न अपसारण और प्रतिधारण** (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी बालक का भारत से सदो-न अपसारण या भारत में सदो-न प्रतिधारण करना वहां समझा जाना चाहिए, जहां–
(क) यह किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय को, संयुक्त रूप से या अकेले, उस संविदाकारी राज्य की विधि के अधीन, जिसमें बालक अपसारण या प्रतिधारण से ठीक पूर्व अभ्यासतः निवास करता था, को समझी जा सकने वाले अभिरक्षा के अधिकारों के भंग में है ; और	(क) **ऐसा कृत्य** किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय को, संयुक्त रूप से या अकेले, उस संविदाकारी राज्य की विधि के अधीन, जिसमें बालक अपसारण या प्रतिधारण से ठीक पूर्व अभ्यासतः निवास करता था, को समझी जा सकने वाले अभिरक्षा के अधिकारों के भंग में है ; और
(ख) अपसारण या प्रतिधारण के समय उन अधिकारों का किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय द्वारा, संयुक्त रूप से या अकेले, वस्तुतः प्रयोग किया जा रहा था या यदि अपसारण या प्रतिधारण नहीं किया गया होता तो इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता था ।	(ख) अपसारण या प्रतिधारण के समय उन अधिकारों का किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय द्वारा, संयुक्त रूप से या अकेले, वस्तुतः प्रयोग किया जा रहा था या यदि अपसारण या प्रतिधारण नहीं किया गया होता तो इस प्रकार प्रयोग किया गया होता ।
(2) उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित अभिरक्षा के अधिकार विशिटतः उद्भूत हो सकेंगे –	(2) **अधिनियम में विनिर्दि-ट** अभिरक्षा के अधिकार विशिटतः उद्भूत हो सकेंगे –
(क) विधि के प्रवर्तन द्वारा ;	(क) विधि के प्रवर्तन द्वारा ;
(ख) न्यायिक या प्रशासनिक विनिश्चय के कारण ; या	(ख) न्यायिक या प्रशासनिक विनिश्चय के कारण ; या
(ग) उस संविदाकारी राज्य, जिसमें बालक अपसारण या प्रतिधारण से ठीक पूर्व अभ्यासतः निवास कर रहा था, की विधि के अधीन विधिक प्रभाव रखने वाले करार के कारण ।	(ग) उस संविदाकारी राज्य, जिसमें बालक अपसारण या प्रतिधारण से ठीक पूर्व अभ्यासतः निवास कर रहा था, की विधि के अधीन विधिक प्रभाव रखने वाले करार के कारण ।
अध्याय 2	

केन्द्रीय प्राधिकारी का गठन, शक्तियां और कृत्य	अध्याय 2 केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन, शक्तियां और कृत्य
4. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून केन्द्रीय सरकार का अधिकारी, जिसे केन्द्रीय प्राधिकारी कहा जाएगा, नियुक्त किया जाएगा ।	**4. केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन** **(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन एक प्राधिकरण का, जो केन्द्रीय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात होगा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी ।**
(2) ऐसा केन्द्रीय प्राधिकारी, जब तक उसे धारा 20 के अधीन हटाया नहीं जाता है, तीन व-र्ा से अनधिक की अवधि तक या जब तक वह पैंसठ व-र्ा की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, जो भी पूर्ववर्ती हो, पदासीन रहेगा ।	**(2) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात–** **(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का है, और** **(ख) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक दस व-र्ा का प्रैक्टिस अनुभव रखने वाला अधिवक्ता होगा और दूसरे सदस्य के पास बालक के अंतर-देशीय अपसारण या प्रतिधारण और बालक के कल्याण संबंधी मामलों में ऐसी अर्हता, अनुभव और विशे-ाज्ञता हो, जो विहित की जाए ।**
(3) यदि केन्द्रीय प्राधिकारी के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति को उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नब्बे दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति वह पद उस पदावधि की उस शे-ा अवधि के लिए धारण करेगा जिसके लिए वह केन्द्रीय प्राधिकारी, जिसके स्थान पर वइ इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, उस पद को धारण करता ।	**(3) केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य की पदावधि उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन व-र्ा या उसकी अधिवार्-िता की आयु तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, होगी ।** **(4) यदि केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पद में, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी अथवा अन्य असमर्थता के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थता**

	के कारण आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति को उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार नब्बे दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति वह पद उस पदावधि की उस शे-न अवधि के लिए धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाता है ।
(5- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी उपबंध की प्रस्थापना नहीं की गई है	(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।
	5. केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति –
	(1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।
	(2) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।
5. केन्द्रीय प्राधिकारी या उनके निमित्त कोई अन्य प्राधिकारी निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सभी समुचित उपाय करेगा–	6. केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्य केन्द्रीय प्राधिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करते हुए सभी समुचित उपाय करेगा, अर्थात् –
(क) ऐसे बालक के पते-ठिकाने की खोज करेगा, जिसे भारत से या भारत में सदो-न अपसारित या प्रतिधारित किया गया है, और जहां बालक का भारत में निवास-स्थान अज्ञात है, वहां केन्द्रीय प्राधिकारी बालक का पता लगाने के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगा ;	(क) ऐसे बालक के पते-ठिकाने की खोज करेगा, जिसे भारत से या भारत में, **या भारत के बाहर से** सदो-न अपसारित या प्रतिधारित किया गया है, और जहां बालक

	के भारत में निवास-स्थान की जानकारी नहीं है, केन्द्रीय प्राधिकारी बालक का पता लगाने के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगा ;
(ख) किसी ऐसे बालक को होने वाली अतिरिक्त अपहानि या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ऐसे अनंतिम उपाय करके या करवाकर, जो आवश्यक हों, निवारित करना ;	(ख) किसी ऐसे बालक को होने वाली अतिरिक्त अपहानि या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ऐसे अनंतिम उपाय करके या करवाकर, जो आवश्यक **समझे जाएं**, निवारित करना ;
(ग) किसी ऐसे बालक की उस देश में स्वेच्छया वापसी सुनिश्चित कराना, जिसमें ऐसे बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, या उन व्यक्तियों के बीच मतभेदों का सौहादपूर्ण हल निकालना जिनमें से एक यह दावा कर रहा हो कि ऐसा बालक भारत से सदो-न अपसारित या भारत में सदो-न प्रतिधारित किया गया है और दूसरा व्यक्ति उस संविदाकारी राज्य से बालक की वापसी का विरोध कर रहा हो जिसमें ऐसे बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ;	(ग) किसी ऐसे बालक की उस देश में स्वेच्छया वापसी सुनिश्चित कराना, जिसमें ऐसे बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, या उन व्यक्तियों के बीच मतभेदों का सौहादपूर्ण हल निकालना जिनमें से एक यह दावा कर रहा हो कि ऐसा बालक भारत से सदो-न अपसारित या भारत में सदो-न प्रतिधारित किया गया है और दूसरा व्यक्ति उस संविदाकारी राज्य से बालक की वापसी का विरोध कर रहा हो जिसमें ऐसे बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ;
(घ) किसी ऐसे बालक से संबंधित सूचना का किसी संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारियों के साथ, जहां वांछनीय हो, आदान-प्रदान करना ;	(घ) किसी ऐसे बालक से संबंधित सूचना का किसी संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारियों के साथ, जहां वांछनीय हो, आदान-प्रदान करना ;
(ड.) किसी संविदाकारी राज्य में कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में, अनुरोध करने पर भारत की विधि के बारे में साधारण प्रकृति की सूचना उपलब्ध कराना ;	(ड.) किसी संविदाकारी राज्य में कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में, अनुरोध करने पर भारत की विधि के बारे में साधारण प्रकृति की सूचना उपलब्ध कराना ;
(च) ऐसे संविदाकारी राज्य से किसी ऐसे बालक की वापसी अभिप्राप्त करने की दृ-टि से न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित करना, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, और समुचित मामलों में उस बालक तक, जो भारत में है, पहुंच के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक कार्यवाहियां संचालित करने की व्यवस्था करना या सुनिश्चित या संस्थित करना ;	(च) ऐसे संविदाकारी राज्य से किसी ऐसे बालक की वापसी अभिप्राप्त करने की दृ-टि से न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित करना, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, और समुचित मामलों में उस बालक तक, जो भारत में है, पहुंच के

(छ) जहां परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, वहां विधिक सहायता या परामर्श के उपबध को सुकर बनाना ; (ज) उस संविदाकारी राज्य से, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रशासनिक प्रबंध, जो आवश्यक और समुचित हों, उपलब्ध कराना ; (झ) कन्वेंशन के अधीन भारत की बाध्यताओं के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य कृत्य करना, जो आवश्यक हों ।	अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक कार्यवाहियां संचालित करने की व्यवस्था करना या सुनिश्चित या संस्थित करना ; (छ) जहां परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, वहां विधिक सहायता या परामर्श उपलब्ध कराना सुकर बनाना ; (ज) उस संविदाकारी राज्य से, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रशासनिक प्रबंध **करना**, जो आवश्यक और समुचित हों ; (झ) कन्वेंशन के अधीन भारत की बाध्यताओं के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य कृत्य करना, जो आवश्यक हों ।
6. केन्द्रीय प्रधिकारी को, धारा 5 में निर्दि-ट किसी वि-नय की जांच करते समय विशि-टतया निम्नलिखित वि-नयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने समय सिविल न्यायालय हो होती हैं, अर्थात्–	**7. केन्द्रीय प्राधिकरण की शक्तियां** केन्द्रीय प्राधिकरण को **इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए** और विशि-टतया निम्नलिखित वि-नयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 **(1908 का 5)** के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं, अर्थात–
(1) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ; (2) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ; (3) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना ; (4) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ; और	(1) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ; (2) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की **अपेक्षा करना** ; (3) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना ; (4) **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,** किसी कार्यालय किसी लोक अभिलेख या

	दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ; और
(5) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।	(5) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।
अध्याय 3	**अध्याय 3**
केन्द्रीय प्राधिकारी को आवदेन करने की प्रक्रिया	**केन्द्रीय प्राधिकरण को आवदेन करने की प्रक्रिया**
7. (1) किसी संविदाकारी राज्य का समुचित प्राधिकारी या कोई व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय यह दावा करता है कि किसी बालक को अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके भारत से अपसारित या भारत में प्रतिधारित किया गया है तो उस बालक की वापसी अभिप्राप्त करने में सहायता करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ;	**8. केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन करने की प्रक्रिया** (1) किसी संविदाकारी राज्य का समुचित प्राधिकारी या कोई व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय यह दावा करता है कि किसी बालक को अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके भारत से अपसारित या भारत में प्रतिधारित किया गया है, तो उस बालक की वापसी अभिप्राप्त करने में सहायता करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा ;
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन सारभूत रूप से इस अधिनियम के नियमों में निहित प्ररुप में होगा ;	(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन **ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए** ;
(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ सलंग्न किया जा सकेगा – (क) अभिरक्षा के अधिकारों, जिनके भंग होने का दावा किया गया है, को उद्भूत करने वाले किसी सुसंगत विनिश्चय या करार की सम्यक्तः प्रमाणित प्रति ; (ख) उस संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकारी, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है अथवा किसी अर्ह व्यक्ति से प्राप्त उस संविदाकारी राज्य की अभिरक्षा के अधिकारों जिनका अभिकथित रूप से भंग हुआ है, विधि उपवर्णित करते हुए कोई	(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ सलंग्न किया **जाएगा** – (क) अभिरक्षा के अधिकारों, जिनके भंग होने का दावा किया गया है, को उद्भूत करने वाले किसी सुसंगत विनिश्चय या करार की सम्यक्तः प्रमाणित प्रति ; (ख) उस संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी या **किसी** अन्य सक्षम प्राधिकारी, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है अथवा **किसी अटर्नी या** किसी अर्ह व्यक्ति से प्राप्त उस संविदाकारी राज्य की अभिरक्षा के अधिकारों जिनका अभिकथित

प्रमाणपत्र या शपथपत्र ; (ग) कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज । 8. जहां धारा 6 के अधीन आवदेन प्राप्त होने पर केन्द्रीय प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बालक, जिसकी बाबत आवेदन किया जाता है, वह किसी अन्य संविदाकारी राज्य में है, तो केन्द्रीय प्राधिकारी आवेदन को उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को तुरंत प्रेनित करेगा और तद्नुसार, यथास्थिति, समुचित प्राधिकारी या आवेदक को सूचित करेगा । 9. जहां केन्द्रीय प्राधिकारी से धारा 5 (घ) के अधीन किसी बालक की बाबत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी से बालक के संबंध में ऐसी किसी बात की बाबत, जो उसे सुसंगत प्रतीत हो, लिखित में रिपोर्ट देने के लिए अनुरोध कर सकेगा । **अध्याय 4** **केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार करने से इनकार** 10. केन्द्रीय प्राधिकारी धारा 7 के अधीन उसे किए गए आवेदन को तब स्वीकार करने से इनकार कर सकेगा, यदि यह स्प-ट है कि इस कन्वेंशन की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं या आवेदन अन्यथा सुआधारित नहीं है । केन्द्रीय प्राधिकारी आवेदन को स्वीकार करने की अपनी इनकारी के पश्चात् समुचित प्राधिकारी या आवेदन करने वाले व्यक्ति, संस्था या अन्य	रूप से भंग हुआ है, विधि उपवर्णित करते हुए कोई प्रमाणपत्र या शपथपत्र ; (ग) कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज । **9. संविदाकारी राज्य को आवेदनों का अंतरण** जहां धारा **8** के अधीन आवदेन प्राप्त होने पर केन्द्रीय प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बालक, जिसकी बाबत आवेदन **किया गया है**, वह किसी अन्य संविदाकारी राज्य में है, तो वह आवेदन को तुरंत उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को प्रेनित करेगा और तद्नुसार, यथास्थिति, **धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दि-ट** समुचित प्राधिकारी या आवेदक को सूचित करेगा । **10. पुलिस से रिपोर्ट मांगना** जहां केन्द्रीय प्राधिकारी से **धारा 6 के खंड (क) और (घ)** के अधीन किसी बालक की बाबत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी से बालक के संबंध में ऐसी किसी बात की बाबत, जो **केन्द्रीय प्राधिकारी** को सुसंगत प्रतीत हो, लिखित में रिपोर्ट देने के लिए अनुरोध कर सकेगा । **अध्याय 4** **केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करने से इनकार** **11. केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करने से इनकार** **(1)** केन्द्रीय प्राधिकरण धारा **8** के अधीन किए उसे किए गए आवेदन को तब स्वीकार करने से इनकार कर सकेगा, यदि यह स्प-ट है कि इस कन्वेंशन की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं या

निकाय को ऐसी इनकारी के कारणों को तुरंत सूचित करेगा ।	आवेदन **अन्यथा पूर्ण** नहीं है । **(2)** केन्द्रीय प्राधिकरण आवेदन को स्वीकार करने की अपनी इनकारी के पश्चात् आवेदन करने वाले समुचित प्राधिकारी या व्यक्ति, संस्था या **किसी** अन्य निकाय को ऐसी इनकारी के कारणों को तुरंत सूचित करेगा ।
11. केन्द्रीय प्राधिकारी को मात्र इस आधार पर आवेदन नामंजूर नहीं करना चाहिए कि अतिरिक्त दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता है । जहां ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की आवश्यकता हो, तो केन्द्रीय प्राधिकारी जिसे अनुरोध किया गया है, आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है । यदि केन्द्रीय प्राधिकारी, जिसे अनुरोध किया गया है, द्वारा विहित युक्तियुक्त अवधि के भीतर ऐसे दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो केन्द्रीय प्राधिकारी जिसे अनुरोध किया गया है, यह विनिश्चय कर सकेगा कि वह आवेदन पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा ।	**12. अतिरिक्त जानकारी** (1) केन्द्रीय प्राधिकरण मात्र इस आधार पर आवेदन नामंजूर नहीं **करेगा** कि अतिरिक्त दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता है । (2), **जहां ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की आवश्यकता हो**, **वहां** केन्द्रीय प्राधिकरण आवेदक से ये अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कह सकेगा **और** यदि केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा विहित युक्तियुक्त अवधि के भीतर ऐसे दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो वह आवेदन पर कार्यवाही न करने का विनिश्चय कर सकेगा ।
12. धारा 7 के अधीन किए गए आवेदन को केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने से इनकारी से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी इनकारी के विरुद्ध महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अपील कर सकेगा । ऐसी अपील केन्द्रीय प्राधिकारी के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर की जाएगी ।	**13. केन्द्रीय सरकार को अपील** (1) धारा **8** के अधीन किए गए आवेदन को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार करने से इनकारी से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी इनकारी के विरुद्ध **केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,** अपील कर सकेगा । **(2)** ऐसी अपील केन्द्रीय प्राधिकरण के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन **की अवधि** के भीतर की जाएगी, **और अपील का यथासंभव शीघ्र किंतु अपील की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह के अपश्चात् नहीं, निपटारा किया जाएगा** ।

अध्याय 5 **उच्च न्यायालय में आवेदन करने की प्रक्रिया**	**अध्याय 5** **उच्च न्यायालय में आवेदन करने की प्रक्रिया**
13. किसी बालक की वापसी अभिप्राप्त करने के लिए, जिसकी बाबत धारा 6 के अधीन आवेदन किया गया है, किन्हीं अन्य साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय प्राधिकारी उस उच्च न्यायालय में, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर बालक व्यक्तिगत रूप से मौजूद है या अंतिम बार मौजूद होना ज्ञात है, उस संविदाकारी राज्य में उस बालक की वापसी का निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ।	**14. केन्द्रीय प्राधिकरण की उच्च न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति** किसी बालक की वापसी सुनिश्चित करने के लिए, जिसकी बाबत धारा **8** के अधीन आवेदन किया गया है, किन्हीं अन्य साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय प्राधिकरण उस उच्च न्यायालय में, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर बालक व्यक्तिगत रूप से मौजूद है या अंतिम बार मौजूद होना ज्ञात है, उस संविदाकारी राज्य में उस बालक की वापसी का निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ।
14. जहां धारा 14 के अधीन किसी उच्च न्यायालय में कोई आवेदन किया जाता है, तो न्यायालय आवेदन का अवधारण करने से पूर्व किसी समय संबंधित बालक के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान बालक का निवास-स्थान सुनिश्चित या बालक की वापसी में आने वाली बाधा को निवारित करने के लिए या अन्यथा आवेदन का अवधारण के लिए सुसंगत परिस्थितियों में आए किसी परिवर्तन को निवारित करने के लिए ऐसे अंतरिम आदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे ।	**15. उच्च न्यायालयों द्वारा अंतरिम आदेश** जहां धारा 14 के अधीन उच्च न्यायालय में कोई आवेदन किया जाता है, तो न्यायालय आवेदन का अवधारण करने से पूर्व किसी समय संबंधित बालक के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए **या** कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान **बालक के लिए ऐसे उपबंध करने के लिए** या बालक की वापसी को निवारित करने के लिए या आवेदन का अवधारण करने के लिए सुसंगत परिस्थितियों में किसी परिवर्तन को निवारित करने के लिए, ऐसे अंतरिम आदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे ।
15. जहां धारा 10 के अधीन किए गए आवेदन पर उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि –	**16. संविदाकारी राज्य को बालक की वापसी के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति** जहां धारा **14** के अधीन किए गए आवेदन पर उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि –
(क) बालक, जिसकी बाबत आवेदन किया गया	

है, को धारा 3 के अर्थांतगत भारत से सदो-न अपसारित या भारत में सदो-न प्रतिधारित किया है ; और

(ख) अभिकथित अपसारण या प्रतिधारण की तारीख और ऐसा आवेदन करने की तारीख के बीच अभी एक व-र्ा की अवधि व्यतीत नहीं हुई है,

तो वह उस संविदाकारी राज्य को, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की तुरंत वापसी के लिए आदेश करेगा ।

परंतु उच्च न्यायालय, जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि बालक अपने नए वातावरण में व्यवस्थित हो गया है, उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, बालक की वापसी का आदेश ऐसे मामले में भी कर सकेगा जहां अभिकथित अपसारण या प्रतिधारण की तारीख और ऐसा आवेदन देने की तारीख के बीच एक व-र्ा व्यतीत हो गया हो ।

16. (1) उच्च न्यायालय, धारा 15 के उपबंधों के होते हुए भी बालक की वापसी का आदेश करने के लिए आबद्ध नहीं है, यदि वह व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय जो बालक की वापसी का विरोध करता है, यह सिद्ध कर देता है कि –

(क) बालक के शरीर की देखरेख करने वाला व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय अपसारण या प्रतिधारण के समय अभिरक्षा के अधिकारों का वस्तुतः प्रयोग नहीं कर रहा था, या अपसारण या प्रतिधारण की सम्मति नहीं दी थी, या बाद में भी मौन सहमति नहीं थी ; अथवा

(ख) इस बात का गंभीर जोखिम है कि बालक की वापसी से उसे शारीरिक या

(क) बालक, जिसकी बाबत आवेदन किया गया है, को धारा 3 के अर्थांतगत भारत से सदो-न अपसारित या भारत में सदो-न प्रतिधारित किया है ; और

(ख) अभिकथित अपसारण या प्रतिधारण की तारीख और ऐसा आवेदन करने की तारीख के बीच अभी एक व-र्ा की अवधि व्यतीत नहीं हुई है,

तो वह उस संविदाकारी राज्य को, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की तुरंत वापसी के लिए आदेश करेगा ।

परंतु उच्च न्यायालय, जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि बालक अपने नए वातावरण में व्यवस्थित हो गया है, उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, बालक की वापसी का आदेश ऐसे मामले में भी कर सकेगा जहां अभिकथित अपसारण या प्रतिधारण की तारीख और ऐसा आवेदन देने की तारीख के बीच एक व-र्ा व्यतीत हो गया हो ।

17. बालक की वापसी में संभव अपवाद

(1) उच्च न्यायालय, धारा **16** में **किसी बात के अंवर्वि-ट** होते हुए भी, बालक की वापसी का आदेश नहीं कर सकेगा, यदि वह व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय, जो बालक की वापसी का विरोध करता है, यह सिद्ध कर देता है कि –

(क) बालक के शरीर की देखरेख करने वाला व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय अपसारण या प्रतिधारण के समय अभिरक्षा के अधिकारों का वस्तुतः प्रयोग नहीं कर रहा था, या अपसारण या प्रतिधारण की सम्मति नहीं दी थी, या बाद में भी मौन सहमति नहीं थी ; अथवा

मनोवैज्ञानिक अपहानि की आशंका बनी रहेगी या अन्यथा उसकी असहनीय स्थिति हो जाएगी ।	(ख) इस बात का गंभीर जोखिम है कि बालक की वापसी से उसे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक अपहानि की आशंका बनी रहेगी या अन्यथा उसकी असहनीय स्थिति हो जाएगी । **(ग) वह व्यक्ति, जो अभिकथित रूप से सदो-नपूर्ण अपसारण या प्रतिधारण में अंतवर्लित है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (21005 का 43) की धारा 3 में यथा परिभाि-त 'घरेलू हिंसा' की किसी घटना का भगौड़ा है ।**
(2) उच्च न्यायालय तब भी बालक की वापसी का आदेश करने से इनकार कर सकेगा, यदि वह पाता है कि बालक वापस जाने का विरोध कर रहा है और उसने उतनी आयु और परिपक्वता प्राप्त कर ली है, जिसमें यह समुचित है कि उसकी बात पर विचार किया जाए ।	(2) उच्च न्यायालय तब भी बालक की वापसी का आदेश करने से इनकार कर सकेगा, यदि – (क) **उच्च न्यायालय यह पाता है कि** बालक वापस जाने का विरोध कर रहा है और उसने उतनी आयु और उस स्तर की परिवक्वता प्राप्त कर ली है, जिसमें यह समुचित है कि उसकी बात पर विचार किया जाए ।
(3) बालक की वापसी से इनकार तब भी इनकार किया जा सकेगा, यदि मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के संरक्षण के संबंध में अनुरोध किए गए राज्य के मूल सिद्धांतों द्वारा ऐसी वापसी करना अनुज्ञात नहीं है ।	(ख) मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के संरक्षण के संबंध में अनुरोध किए गए राज्य के मूल सिद्धांतों द्वारा ऐसी वापसी करना अनुज्ञात नहीं है ।
(4) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उपलब्ध कराई गई बालक की सामाजिक पृ-ठभूमि संबंधी जानकार पर विचार करेगा ।	(ग) **उच्च न्यायालय** इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए **समझता है कि** उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उपलब्ध कराई गई बालक की सामाजिक पृ-ठभूमि संबंधी जानकारी **असमुचित** है ।
(5) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन उस संविदाकारी राज्य को, जिसमें किसी बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की वापसी के लिए आदेश करने के लिए केवल आधार पर इनकार नहीं करेगा कि ऐसे बालक की अभिरक्षा के संबंध में किसी न्यायालय का	(3) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन उस संविदाकारी राज्य को, जिसमें किसी बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की वापसी के लिए आदेश करने से केवल इन

विनिश्चय या भारत के न्यायालय द्वारा मान्यता दिए जाने का हकदार कोई विनिश्चय प्रवर्तन में है, किंतु उच्च न्यायालय धारा 10 के अधीन आदेश करते समय ऐसे विनिश्चय के कारणों पर विचार करेगा ।	आधारों पर इनकार नहीं कर सकेगा कि – (i) भारत के किसी न्यायालय का विनिश्चय, या (ii) ऐसे बालक की अभिरक्षा के संबंध में भारत के न्यायालय द्वारा मान्यात दिए जाने का हकदार कोई विनिश्चय प्रवर्तन में है : **परंतु** उच्च न्यायालय बालक की वापसी के संबंध में ऐसे आदेश पारित करते समय कारण अभिलिखित करेगा ।
17. (1) किसी संविदाकारी राज्य का समुचित प्राधिकारी या कोई व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय केन्द्रीय प्राधिकारी को आवेदन में विनिर्दि-ट व्यक्ति की उस बालक तक पहुंच के अधिकारों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदन कर सकेगा, जो भारत में है । (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में होगा, जो विहित किए जाएं ।	**18. व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय के भारत में बालक तक पहुंच के अधिकार** (1) किसी संविदाकारी राज्य का समुचित प्राधिकारी या कोई व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय केन्द्रीय प्राधिकारी को आवेदन में विनिर्दि-ट व्यक्ति की उस बालक तक पहुंच के अधिकारों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदन कर सकेगा, जो भारत में है। (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में होगा, जो विहित किए जाएं ।
18. (1) भारत में रह रहे बालक तक किसी व्यक्ति की पहुंच के अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं अन्य साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय प्राधिकारी उन अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में न्यायालय के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा । (2) जहां उच्च न्यायालय का उपधारा (1) के अधीन उसे किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति को, जिसने या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन में विनिर्दि-ट बालक तक पहुंच का अधिकार है, तो उच्च न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा जो पहुंच के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिनके अधीन	**19. किसी व्यक्ति के भारत में बालक तक पहुंच के अधिकारों के प्रयोग के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन** (1) भारत में रह रहे बालक तक किसी व्यक्ति की पहुंच के अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं अन्य साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय प्राधिकारी उन अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में न्यायालय के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा । (2) जहां उच्च न्यायालय का उपधारा (1) के अधीन उसे किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति को, जिसने या

वे अधिकार हों ।	जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाता है, आवेदन में विनिर्दि-ट बालक तक पहुंच का अधिकार है, **तो उच्च न्यायालय पहुंच के उन अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो आवश्यक समझी जाएं, आदेश कर सकेगा** ।
19. (1) उच्च न्यायालय, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि धारा 3 के अर्थांतर्गत कोई सदो-न अपसारण या प्रतिधारण किया गया है या नहीं, उस विधि और उन न्यायिक या प्रशासनिक विनिश्चयों की, जिनको बालक के अभ्यासतः निवास-स्थान के राज्य में औपचारिक रूप से मान्यताप्राप्त है या नहीं, उस विधि के सबूत के लिए विनिर्दि-ट प्रक्रियाओं को अपनाए बिना या उन विदेशी विनिश्चयों को मान्यता देने के लिए जो अन्यथा लागू होते, प्रत्यक्ष तौर पर अवेक्षा कर सकेगा ।	**20. विदेशी विधि के सबूत की अपेक्षाओं के लिए छूट** (1) **उच्च न्यायालय**, यह अभिनिश्चित **करते समय** कि धारा 3 के अर्थांतर्गत कोई सदो-न अपसारण या प्रतिधारण किया गया है या नहीं, **उस विधि की** और उन न्यायिक या प्रशासनिक विनिश्चयों की, जिनको बालक के अभ्यासतः निवास-स्थान के राज्य में औपचारिक रूप से मान्यताप्राप्त है या नहीं, उस विधि के सबूत के लिए विनिर्दि-ट प्रक्रियाओं को अपनाए बिना या उन विदेशी विनिश्चयों को मान्यता देने के लिए जो अन्यथा लागू होंगे, **अवेक्षा कर सकेगा** ।
(2) उच्च न्यायालय धारा 13 के अधीन उस संविदाकारी राज्य को बालक की वापसी के लिए आदेश करने से पूर्व, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, केन्द्रीय प्राधिकारी को अनुरोध कर सकेगा कि उस संविदाकारी राज्य के, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, सुसंगत प्राधिकारियों से ऐसा विनिश्चय या अवधारण अभिप्राप्त करे कि क्या उस बालक का भारत से अपसारण या भारत में प्रतिधारण धारा 3 के अधीन सदो-नपूर्ण है या नहीं ।	(2) उच्च न्यायालय धारा **15** के अधीन उस संविदाकारी राज्य को बालक की वापसी के लिए आदेश करने से पूर्व, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, **केन्द्रीय प्राधिकारी को निदेश दे सकेगा कि** उस संविदाकारी राज्य के, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, **संबंधित** प्राधिकारियों से ऐसा विनिश्चय या अवधारण अभिप्राप्त करे कि क्या उस बालक का भारत से अपसारण या भारत में प्रतिधारण धारा 3 के **अर्थांतर्गत** सदो-नपूर्ण है या नहीं ।
20. उच्च न्यायालय, उस संविदाकारी राज्य को, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की वापसी के लिए आदेश करने के उपरांत उस व्यक्ति को जिसने उस बालक को भारत से अपसारित किया था या जिसने उसे भारत में प्रतिधारित किया है, केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा उपगत व्ययों का संदाय करने का आदेश कर सकेगा । इन व्ययों में बालक का पता लगाने में हुआ खर्च केन्द्रीय प्राधिकारी के विधिक प्रतिनिधित्व के खर्च और बालक को उस	**21. व्यय** **(1) उच्च न्यायालय धारा 15 के अधीन उस संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, आदेश करते समय उस व्यक्ति को, जिसने उस बालक को भारत से अपसारित किया था या जिसने बालक को भारत में प्रतिधारित किया**

संविदाकारी राज्य में लौटाने पर हुआ खर्च सम्मिलित हो सकेगा जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ।	**था, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उपगत व्ययों का संदाय करने का आदेश कर सकेगा ।** **(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट खर्चे में बालक का पता लगाने में हुआ व्यय, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्यवाहियों पर उपगत व्यय और बालक का उस संविदाकारी राज्य को लौटाने में हुआ व्यय सम्मिलित हो सकेगा, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ।**
21. उच्च न्यायालय द्वारा धारा 13 के अधीन किया गया आदेश उस बालक, जिसके संबंध में वह आदेश है, की अभिरक्षा से संबंधित किसी प्रश्न का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय या अवधारण के रूप में नही समझा जाएगा ।	**22. न्यायनिर्णयन के अंतर्गत माता-पिता के अभिरक्षा के अधिकारों का अवधारण नहीं** उच्च न्यायालय द्वारा धारा **16** के अधीन किया गया आदेश उस बालक, जिसके संबंध में वह आदेश है, की अभिरक्षा से संबंधित किसी प्रश्न का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय या अवधारण के रूप में नही समझा जाएगा ।
22. जहां धारा 13 के अधीन उस संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए आदेश किया जाता है, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, वहां केन्द्रीय प्राधिकारी ऐसे प्रशासनिक प्रबंध कराएगा, जो उस संविदाकारी राज्य में ऐसे बालक की वापसी के लिए किए गए आदेश के अनुसार आवश्यक हों ।	**23. संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए प्रबंध** जहां धारा **16** के अधीन उस संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए आदेश किया जाता है, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, वहां केन्द्रीय प्राधिकरण **ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर** ऐसे प्रशासनिक प्रबंध कराएगा, जो उस संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए किए गए आदेश के अनुसार किए जाने आवश्यक हों ।
अध्याय 6 **भारत से अपसारित किए गए बालक की बाबत आवेदन**	**अध्याय 6** **भारत से अपसारित किए गए बालक की बाबत आवेदन**
23. (1) भारत में कोई व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय जिसका यह दावा हो कि किसी बालक को किसी संविदाकारी राज्य से ऐसे व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय के अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके सदो-न अपसारित किया गया है या संविदाकारी राज्य में सदो-न प्रतिधारित किया जा रहा है, तो वह केन्द्रीय प्राधिकारी को उस बालक की भारत में वापसी सुनिश्चित कराने के	**24. भारत में बालक की वापसी के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन** (1) भारत में कोई व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय, जिसका यह दावा हो कि किसी बालक को किसी संविदाकारी राज्य से ऐसे व्यक्ति,

लिए सहायता हेतु आवेदन कर सकेगा ।	संस्था या किसी अन्य निकाय के अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके सदो-न अपसारित किया गया है या संविदाकारी राज्य में सदो-न प्रतिधारित किया जा रहा है, तो वह केन्द्रीय प्राधिकरण को उस बालक की भारत में वापसी सुनिश्चित कराने के लिए सहायता हेतु आवेदन कर सकेगा ।
(2) उपधारा (1 के अधीन आवदेन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय प्राधिकारी उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को, जिस राज्य से ऐसे बालक को अभिकथित रूप से अपसारित किया गया है या जिस राज्य में उस बालक को अभिकथित रूप से प्रतिधारित किया गया है, उसकी भारत मे वापसी सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए समुचित रीति में आवेदन करेगा ।	**(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।** (3) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवदेन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय प्राधिकरण **तुरंत** उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को, जिससे ऐसे बालक को अभिकथित रूप से अपसारित किया गया है या जिसमें उस बालक को अभिकथित रूप से प्रतिधारित किया गया है, **विनिर्दि-ट रीति में, यदि कोई हो,** उसकी भारत मे वापसी सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए आवेदन करेगा ।
(3) उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित अभिरक्षा के अधिकारों के अतंर्गत - (क) न्यायिक या प्रशासनिक विनिश्य के कारण ; या (ख) भारत की विधि के अधीन विधिक प्रभाव रखने वाले किसी करार के कारण किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय को विधि के प्रवर्तन द्वारा प्रोद्भूत अभिरक्षा के अधिकार भी हैं ।	
24. उच्च न्यायालय, संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा या उसके निमित्त किए गए आवेदन पर यह घो-नित कर सकेगा कि उस संविदाकारी राज्य से बालक का अपसारण या उस राज्य में बालक का प्रतिधारण धारा 3 के अर्थांतर्गत सदो-न है ।	(खंड 16 को दृ-टिगत करते हुए उच्च न्यायालय की घो-णात्मक शक्तियों संबंधी उपबंध करना आवश्यक नहीं है)
अध्याय 7 **पहुंच के अधिकार**	

	अध्याय 7 **पहुंच के अधिकार**
25. भारत मे कोई व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय का यह दावा हो कि किसी बालक को किसी संविदाकारी राज्य से ऐसे व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय के अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके सदो-नपूर्ण अपसारित किया गया है या संविदाकारी राज्य में सदो-नपूर्ण प्रतिधारित किया जा रहा है, तो वह केन्द्रीय प्राधिकारी को अभिरक्षा के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।	**25. भारत में व्यक्ति, संस्था या निकाय के पहुंच के अधिकार** भारत मे कोई व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय का यह दावा हो कि किसी बालक को किसी संविदाकारी राज्य से ऐसे व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय के अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके सदो-नपूर्ण अपसारित किया गया है या संविदाकारी राज्य में सदो-नपूर्ण प्रतिधारित किया जा रहा है, तो वह केन्द्रीय प्राधिकरण को अभिरक्षा के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए **ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए,** आवेदन कर सकेगा ।
26. पहुंच के अधिकारो के प्रभावी प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने हेतु प्रबंध करने के लिए आवेदन संविदाकारी राज्यों के केन्द्रीय प्राधिकारियों को उसी रीति में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस रीति में बालक की वापसी के लिए आवेदन किया जाता है ।	**26. भारत में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय के पहुंच के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन** **धारा 25 के अधीन** पहुंच के अधिकारो के प्रभावी प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने हेतु प्रबंध करने के लिए आवेदन संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को उसी रीति में तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा, जिस रीति में बालक की वापसी के लिए **धारा 24 के अधीन** आवेदन किया जाता है ।
27. उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय प्राधिकारी पहुंच के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध करने मे सहायता करने के लिए उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को समुचित रीति में आवेदन कर सकेगा, जिस राज्य से ऐसे बालक को अभिकथित रूप से अपसारित किया गया है या जिस राज्य में ऐसे बालक को अभिकथित रूप से सदो-न प्रतिधारित किया गया है ।	**27. पहुंच के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय** धारा 26 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय प्राधिकरण पहुंच के अधिकारों के प्रभावी

	प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध करने मे सहायता करने हेतु उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को, जिससे ऐसे बालक को अभिकथित रूप से **सदो-नपूर्ण** अपसारित किया गया है या जिसमें ऐसे बालक को अभिकथित रूप से सदो-नपूर्ण प्रतिधारित किया गया है, **विनिर्दि-ट रीति में, यदि कोई हो, तुरंत** आवेदन करेगा ।
(28. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कोई ऐसा उपबंध नहीं किया गया है ।	**अध्याय 8** **अपराध और शास्तियां** **28. सदो-नपूर्ण अपसारण और प्रतिधारण के लिए दंड** जो कोई स्वयं या अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के निबंधनों के अनुसार किसी बालक को किसी माता-पिता की अभिरक्षा से सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित करता है, तो यह कहा जाता है कि वह सदो-नपूर्ण अपसारण या प्रतिधारण का अपराध करता है, और ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक व-र्ा तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।
29. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कोई ऐसा उपबंध नहीं किया गया है ।	**29. जानबूझकर किए गए दुर्व्यपदेशन या तथ्य छिपाने के लिए दंड** जो कोई, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या धारा 6 के खंड (क) के अधीन बालक के अवस्थान या जानकारी से संबंधित किसी ऐसे तात्विक तथ्य को छिपाकर, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, इस अधिनियम की धारा 15 या धारा 16 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में बालक की सुरक्षित वापसी स्वेच्छया निवारित करता है, वह ऐसे अवधि के कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच
अध्याय 8 **प्रकीर्ण**	

28. (1) संविदाकारी राज्यों के न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारी बालकों की वापसी के लिए कार्यवाहियों में शीघ्रतापूर्वक कार्य करेंगे ।	हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय अपराध का दो-ी होगा ।
	अध्याय 9 **प्रकीर्ण**
(2) यदि संबंधित न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी कार्यवाहियों के प्रारंभ की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किसी विनिश्चय पर नहीं पहुंचता है, तो आवेदक या अनुरोध किए गए राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी को स्वयं पहल करके या अनुरोध करने वाले राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी के कहने पर विलंब के लिए कारणों का विवरण देने के लिए अनुरोध करने का अधिकार होगा । यदि अनुरोध किए गए राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त होता है, तो वह प्राधिकारी, यथास्थिति, अनुरोध करने वाले के केन्द्रीय प्राधिकारी को या आवेदक को वह उत्तर प्रेि-त करेगा ।	**30. तत्परतापूर्वक कार्यवाही करना** (1) संविदाकारी राज्यों के न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारी बालकों की वापसी के लिए कार्यवाहियों में तत्परतापूर्वक कार्य करेंगे । (2) यदि संबंधित न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी कार्यवाहियों के प्रारंभ की तारीख से छह सप्ताह **की अवधि** के भीतर किसी विनिश्चय पर नहीं पहुंचता है, तो आवेदक या अनुरोध किए गए राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को स्वयं की प्रेरणा पर या अनुरोध करने वाले राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण के कहने पर विलंब के लिए कारणों का विवरण देने के लिए अनुरोध करने का अधिकार होगा ।
29. केन्द्रीय प्राधिकारी महिला और बाल विकास मंत्रालय की मार्फत केन्द्रीय सरकार को एक वार्ि-क रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।	(3) यदि अनुरोध किए गए राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई **जानकारी या** उत्तर प्राप्त किया जाता है, तो वह प्राधिकरण उसे, यथास्थिति, अनुरोध करने वाले राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को, या आवेदक को प्रेि-त करेगा ।
(महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए खंड 29 और 33 को आयोग द्वारा बनाए गए खंड 31 में सम्मिलित किया गया है ।	**31. रिपोर्ट और विवरणियां** (1) केन्द्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन एक वार्ि-क रिपोर्ट अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा । **(2) केन्द्रीय प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट के अतिरिक्त अपने कार्यकलापों के वि-ये में ऐसी विवरणियां या अन्य सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।**

	(3) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में निम्नलिखित का पूर्ण विवरण अंतर्वि-ट होगा – (क) आवेदकों द्वारा बालकों की वापसी के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए आवेदनों का संक्षिप्त अभिलेख । (ख) बालकों की वापसी के लिए किए गए ऐसे आवेदनों की विस्तृत जानकारी, जो फाइल होने की तारीख के पश्चात् एक व-र्ा से अधिक तक लंबित रहे और ऐसे बालकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी तथा ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा की गई विनिर्दि-ट कार्यवाही । (ग) देश, जिनसे खंड (ख) में वर्णित बालकों को सदो-नपूर्ण अपसारित किया गया है या उनमें प्रतिधारित किया गया है, देश जो भारत में बालकों की वापसी, आवेदकों की बालकों तक पहुंच के वि-नय में कन्वेंशन में उपवर्णित अपनी बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहे हैं, की सूची । (4) केन्द्रीय प्राधिकरण, उस माता-पिता को जिसने सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित बालक के संबंध में सहायता के लिए अनुरोध किया है, सिवाय वहां के जहां मामला केन्द्रीय अभिकरण द्वारा बंद कर दिया गया है और मामला बंद करने कारण ऐसी सहायता की ईप्सा करने वाले व्यक्ति, संस्था या निकाय को सूचित कर दिए हैं, प्रत्येक छह माह में एक बार सूचित करेगा ।
(32. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है ।	
30. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या केन्द्रीय प्राधिकारी के निदेशाधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध	**32. अभिलेखों को बनाए रखना** केन्द्रीय प्राधिकरण आवेदनों, और, या इस अधिनियम के अधीन उसके ध्यान में लाए गए मामलों से संबंधित अभिलेखों का ब्यौरेवार और

कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।	**अद्यतन अभिलेख बनाए रखेगा ।** **33. सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य **या अधिकारी** या **केन्द्रीय प्राधिकरण प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे** किसी **अधिकारी** के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।
31. केन्द्रीय प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।	**34. केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना** केन्द्रीय प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और **अधिकारी और** इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए **प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत** अधिकारी भारतीय दंड संहिता, **1860 (1860 का 45)** की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।
32. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में रा-ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीति वि-नयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं । (2) यदि केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्राधिकरण के बीच इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता कि कोई प्रश्न रा-ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति वि-नयक प्रश्न है या नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।	**35. निदेश देने की शक्ति** (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में रा-ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीति वि-नयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं । (2) यदि केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्राधिकरण के बीच इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता कि कोई प्रश्न रा-ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति वि-नयक प्रश्न है या नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।
33. केन्द्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को अपने उन क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे । 34.(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी । (2) विशि-टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे	**36. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के **प्रयोजनों** को कार्यान्वित करने के लिए **राजपत्र में,**

नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-नयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात : (क) भारत से या भारत में सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित बालक की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवदेन का प्ररूप ; (ख) भारत से बाहर सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित बालक की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवदेन का प्ररूप ; (ग) केन्द्रीय प्राधिकरणके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त/केन्द्रीय प्राधिकरण के कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया ; (घ) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा 7 के अधीन आवेदन स्वीकार करने से इनकारी की दशा में प्रक्रिया ।	अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी । (2) विशि-टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-नयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात : **(क) अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव ;** **(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें और निबंधन ;** **(ग) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ;** **(घ) भारत से या भारत में सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित बालक की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को आवदेन का प्ररूप ;** **(ड़) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकार करने से इनकारी की दशा में केन्द्रीय सरकार को अपील करने की प्रक्रिया ;** **(च) केन्द्रीय प्राधिकरण को धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन भारत में किसी बालक तक पहुंच के अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने में सहायता के लिए आवेदन का प्ररूप ;** **(छ) संविदाकारी राज्य से या संविदाकारी राज्य में सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित बालक की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन**

	आवेदन का प्ररूप ; **(ज) किसी संविदाकारी राज्य से सदो-नपूर्ण अपसारित या उसमें प्रतिधारित किसी बालक तक पहुंच के अधिकारो को संचालित या सुनिश्चित करने में सहायता के लिए आवेदन का प्ररूप ;** **(झ) वह प्ररूप जिसमें धारा 3 1 की उपधारा (1) के अधीन वार्निक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।**
(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नि-प्रभावी हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या नि-प्रभावी होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।	(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नि-प्रभावी हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या नि-प्रभावी होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
35. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होऔर जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :	**37. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :
परन्तु कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया	परन्तु **ऐसा** कोई आदेश इस अधिनियम के

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा जाएगा ।	प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा । (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उपाबंध-2

बालकों का संरक्षण (अंतर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016

किसी संविदाकारी राज्य से सदो-न अपसारित या उस राज्य में सदो-न प्रतिधारित बालक की तत्परता से वापसी सुनिश्चित करने, यह सुनिश्चित करने कि संविदाकारी राज्यों के किसी राज्य की विधि के अधीन अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारों का दूसरे संविदाकारी राज्यों में प्रभावी रूप से सम्मान किया जाए और अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, बालकों की वापसी हेतु सौहादपूर्ण हल के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी वापसी के लिए किए गए अनुरोधों पर कार्यवाही करने में सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने तथा उससे संबंधित और उससे आनु-ंगिक वि-ायों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989, जो तारीख 2 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ, को दृ-टिगत करते हुए बालकों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में उनके हितों का महत्व सर्वोपरि है ;

और अंतरा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 तारीख 01 दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुआ,

और उक्त कन्वेंशन को, जहां तक इसका संबंध किसी ऐसे बालक की तत्परता से वापसी से है, जिसे संविदाकारी पक्षकार ने अपने देश में, उसके अभ्यासतः निवास-स्थान में अभिरक्षा और पहुंच के अधिकारो का अतिक्रमण करके, सदो-न अपसारित या प्रतिधारित किया है, कार्यान्वित करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के..... व-र्ा मे संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, अनुप्रयोजन और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालकों का संरक्षण (अंतर-देशीय अपसारण और प्रतिधारण) अधिनियम, 2016 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम के उपबंध ऐसे प्रत्येक बालक को, उसकी भारत में रा-ट्रीयता, धर्म या प्रास्थिति को विचार में लाए बिना, लागू होंगे जिसने सोलह व-र्ा की आयु पूरी नहीं की है और भारत से सदो-नपूर्ण अपसारित या भारत में सदो-नपूर्ण प्रतिधारित किया गया है ।

(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसे उपबंध में किसी ऐसे निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवर्तन के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

परिभा-ाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "आवेदक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कन्वेंशन के अनुसरण में केन्द्रीय प्राधिकरण या कन्वेंशन के किसी अन्य पक्षकार राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को ऐसे बालक की वापसी के लिए, जिसे अभिकथित रूप से अपसारित या प्रतिधारित किया गया है या उक्त कन्वेंशन के अनुसरण में पहुंच के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को संचालित करने के लिए प्रबंध करने या इसे सुनिश्चित करने के लिए आवेदन करता है ;

(ख) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 4 के अधीन गठित केन्द्रीय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "संविदाकारी राज्य" से अंतरररा-ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन और उसका हस्ताक्षरी राज्य अभिप्रेत है ;

(घ) "कन्वेंशन" से अंतरराट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, जिस पर प्रथम अनुसूची में वर्णित अनुसार तारीख 25 अक्तूबर, 1980 को हेग में हस्ताक्षर किए गए, अभिप्रेत है ;

(ड.) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(च) किसी बालक का "अभ्यासतः निवास-स्थान" वह स्थान है जहां बालक अपने माता-पिता दोनों के साथ निवास करता है ; अथवा यदि माता-पिता पृथक-पृथक और अलग रह रहे हैं, तो किसी पृथक्करण करार या माता-पिता में से एक-दूसरे की विवक्षित सहमति से या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन या माता-पिता से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्थायी तौर पर पर्याप्त लंबी अवधि से, जो सबसे बाद हो, रहता है ;

(छ) "सदस्य" से केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष, यदि कोई हो, भी है ;

(ज) " विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) बालक के संबंध में "पहुंच" के अधिकार के अंतर्गत बालक को एक सीमित अवधि के लिए उसके अभ्यासतः निवास-स्थान से भिन्न किसी स्थान पर लेने जाने का अधिकार भी है ;

(ञ) किसी बालक के संबंध में "अभिरक्षा के अधिकार" के अंतर्गत उस बालक के शरीर की देखरेख संबंधी अधिकार, बालक के विकास और भलाई के बारे में दीर्घावधि के विनिश्चय करना और विशि-ट रूप से, बालक के निवास-स्थान का अवधारण करने के अधिकार भी हैं ।

3. सदो-न अपसारण और प्रतिधारण

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी बालक का भारत से सदो-न अपसारण या भारत में सदो-न प्रतिधारण करना वहां समझा जाना चाहिए, जहां–

(क) ऐसा कृत्य किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय को, संयुक्त रूप से या अकेले, उस संविदाकारी राज्य की विधि के अधीन, जिसमें बालक अपसारण या प्रतिधारण से ठीक पूर्व अभ्यासतः निवास करता था, को समझी जा सकने वाले अभिरक्षा के अधिकारों के भंग में है ; और

(ख) अपसारण या प्रतिधारण के समय उन अधिकारों का किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय द्वारा, संयुक्त रूप से या अकेले, वस्तुतः प्रयोग किया जा रहा था या यदि अपसारण या प्रतिधारण नहीं किया गया होता तो इस प्रकार प्रयोग किया जाता ।

(2) **अधिनियम में विनिर्दि-ट** अभिरक्षा के अधिकार विशिटतः उद्‌भूत हो सकेंगे –

(क) विधि के प्रवर्तन द्वारा ;

(ख) न्यायिक या प्रशासनिक विनिश्चय के कारण ; या

(ग) उस संविदाकारी राज्य, जिसमें बालक अपसारण या प्रतिधारण से ठीक पूर्व अभ्यासतः निवास कर रहा था, की विधि के अधीन विधिक प्रभाव रखने वाले करार के कारण ।

अध्याय 2

केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन, शक्तियां और कृत्य

4. केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन एक प्राधिकरण का, जो केन्द्रीय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात होगा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी ।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का हो, और

(ख) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक विधि व्यवसाय का दस व-र् का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता होगा और दूसरे सदस्य के पास बालक के अंतर-देशीय अपसारण या प्रतिधारण और बालक के कल्याण संबंधी मामलों में ऐसी अर्हता, अनुभव और विशे-ाज्ञता हो, जो विहित की जाए ।

(3) केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य की पदावधि उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन व-र् या उसकी अधिवार्-िता की आयु तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, होगी ।

(4) यदि केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पद में, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी अथवा अन्य असमर्थता के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति को उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार नब्बे दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति वह पद उस पदावधि की उस शे-ा अवधि के लिए धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाता है ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

5. केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति –

(1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

6. केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्य

केन्द्रीय प्राधिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करते हुए सभी समुचित उपाय करेगा, अर्थात् –

(क) ऐसे बालक के पते-ठिकाने की खोज करेगा, जिसे भारत से या भारत में, या भारत के बाहर से सदो-ा अपसारित या प्रतिधारित किया गया है, और जहां बालक के भारत में निवास-स्थान की जानकारी नहीं है, केन्द्रीय प्राधिकारी बालक का पता लगाने के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगा ;

(ख) किसी ऐसे बालक को होने वाली अतिरिक्त अपहानि या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ऐसे अनंतिम उपाय करके या करवाकर, जो आवश्यक समझे जाएं, निवारित करना ;

(ग) किसी ऐसे बालक की उस देश में स्वेच्छया वापसी सुनिश्चित कराना, जिसमें ऐसे बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, या उन व्यक्तियों के बीच मतभेदों का सौहादपूर्ण हल निकालना, जिनमें से एक यह दावा कर रहा हो कि ऐसा बालक भारत से सदो-न अपसारित या भारत में सदो-न प्रतिधारित किया गया है और दूसरा व्यक्ति उस संविदाकारी राज्य से बालक की वापसी का विरोध कर रहा हो, जिसमें ऐसे बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ;

(घ) किसी ऐसे बालक से संबंधित सूचना का किसी संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारियों के साथ, जहां वांछनीय हो, आदान-प्रदान करना ;

(ड.) किसी संविदाकारी राज्य में कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में, अनुरोध करने पर, भारत की विधि के बारे में साधारण प्रकृति की सूचना उपलब्ध कराना ;

(च) ऐसे संविदाकारी राज्य से किसी ऐसे बालक की वापसी अभिप्राप्त करने की दृ-टि से न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित करना, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, और समुचित मामलों में उस बालक तक, जो भारत में है, पहुंच के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक कार्यवाहियां संचालित करने की व्यवस्था करना या सुनिश्चित या संस्थित करना ;

(छ) जहां परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, वहां विधिक सहायता या परामर्श उपलब्ध कराना सुकर बनाना ;

(ज) उस संविदाकारी राज्य से, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रशासनिक प्रबंध करना, जो आवश्यक और समुचित हों ;

(झ) कन्वेंशन के अधीन भारत की बाध्यताओं के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य कृत्य करना, जो आवश्यक हों ।

7. केन्द्रीय प्राधिकरण की शक्तियां

केन्द्रीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए और विशि-टतया निम्नलिखित वि-नयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं, अर्थात–

(1) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(2) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(3) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना ;

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय के किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ; और

(5) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

अध्याय 3

केन्द्रीय प्राधिकरण को आवदेन करने की प्रक्रिया

8. केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन करने की प्रक्रिया

(1) किसी संविदाकारी राज्य का समुचित प्राधिकारी या कोई व्यक्ति, संस्था या कोई अन्य निकाय यह दावा करता है कि किसी बालक को अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके भारत से अपसारित या भारत में प्रतिधारित किया गया है, तो उस बालक की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा ;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए ;

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ सलंग्न किया जाएगा –

(क) अभिरक्षा के अधिकारों, जिनके भंग होने का दावा किया गया है, को उद्‌भूत करने वाले किसी सुसंगत विनिश्चय या करार की सम्यक्‌तः प्रमाणित प्रति ;

(ख) उस संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है अथवा किसी अटर्नी या किसी अर्ह व्यक्ति से प्राप्त उस संविदाकारी राज्य की अभिरक्षा के अधिकारों, जिनका अभिकथित रूप से भंग हुआ है, की विधि उपवर्णित करते हुए कोई प्रमाणपत्र या शपथपत्र ;

(ग) कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज ।

9. संविदाकारी राज्य को आवेदनों का अंतरण

जहां धारा 8 के अधीन आवदेन प्राप्त होने पर केन्द्रीय प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बालक, जिसकी बाबत आवेदन किया गया है, वह किसी अन्य संविदाकारी राज्य में है, तो वह आवेदन को तुरंत उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को प्रेन्ति करेगा और तद्‌नुसार, यथास्थिति, धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दि-ट समुचित प्राधिकारी या आवेदक को सूचित करेगा ।

10. पुलिस से रिपोर्ट मांगना

जहां केन्द्रीय प्राधिकारी से धारा 6 के खंड (क) और (घ) के अधीन किसी बालक की बाबत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी से बालक के संबंध में ऐसी किसी बात की बाबत, जो केन्द्रीय प्राधिकारी को सुसंगत प्रतीत हो, लिखित में रिपोर्ट देने के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

अध्याय 4

केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करने से इनकार

11. केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करने से इनकार

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण धारा 8 के अधीन किए उसे किए गए आवेदन को तब स्वीकार करने से इनकार कर सकेगा, यदि यह स्प-ट है कि इस कन्वेंशन की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं या आवेदन अन्यथा पूर्ण नहीं है ।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण आवेदन को स्वीकार करने की अपनी इनकारी के पश्चात् आवेदन करने वाले समुचित प्राधिकारी या व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय को ऐसी इनकारी के कारणों को तुरंत सूचित करेगा ।

12. अतिरिक्त जानकारी

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण मात्र इस आधार पर आवेदन नामंजूर नहीं करेगा कि अतिरिक्त दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता है ।

(2), जहां ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की आवश्यकता हो, वहां केन्द्रीय प्राधिकरण आवेदक से ये अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कह सकेगा और यदि वह केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा विहित युक्तियुक्त अवधि के भीतर ऐसे दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो वह आवेदन पर कार्यवाही न करने का विनिश्चय कर सकेगा ।

13. केन्द्रीय सरकार को अपील

(1) धारा 8 के अधीन किए गए आवेदन को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार करने से इनकारी से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी इनकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।

(2) ऐसी अपील केन्द्रीय प्राधिकरण के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी, और अपील का यथासंभव शीघ्र किंतु अपील की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह के अपश्चात् नहीं, निपटारा किया जाएगा ।

अध्याय 5

उच्च न्यायालय में आवेदन करने की प्रक्रिया

14. केन्द्रीय प्राधिकरण की उच्च न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति

केन्द्रीय प्राधिकरण, किसी ऐसे बालक की वापसी सुनिश्चित करने के लिए जिसकी बाबत धारा **8** के अधीन आवेदन किया गया है, किन्हीं अन्य साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस

उच्च न्यायालय में, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर बालक व्यक्तिगत रूप से मौजूद है या अंतिम बार मौजूद होना ज्ञात है, उस संविदाकारी राज्य में उस बालक की वापसी का निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ।

15. उच्च न्यायालयों द्वारा अंतरिम आदेश

जहां धारा 14 के अधीन उच्च न्यायालय में कोई आवेदन किया जाता है, तो न्यायालय आवेदन का अवधारण करने से पूर्व किसी समय संबंधित बालक के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान बालक के लिए ऐसे उपबंध करने के लिए या बालक की वापसी या आवेदन का अवधारण करने के लिए सुसंगत परिस्थितियों में किसी परिवर्तन को निवारित करने के लिए, ऐसे अंतरिम आदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे ।

16. संविदाकारी राज्य को बालक की वापसी के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति

जहां धारा 14 के अधीन किए गए आवेदन पर उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि –

(क) बालक, जिसकी बाबत आवेदन किया गया है, को धारा 3 के अर्थांतर्गत भारत से सदो-न अपसारित या भारत में सदो-न प्रतिधारित किया गया है ; और

(ख) अभिकथित अपसारण या प्रतिधारण की तारीख और ऐसा आवेदन करने की तारीख के बीच अभी एक व-र्ा की अवधि व्यतीत नहीं हुई है,

तो वह उस संविदाकारी राज्य को, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की तुरंत वापसी के लिए आदेश करेगा ।

परंतु उच्च न्यायालय, जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि बालक अपने नए वातावरण में व्यवस्थित हो गया है, उस संविदाकारी राज्य में, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, बालक की वापसी का आदेश ऐसे मामले में भी कर सकेगा जहां अभिकथित अपसारण या प्रतिधारण की तारीख और ऐसा आवेदन देने की तारीख के बीच एक व-र्ा व्यतीत हो गया हो ।

17. बालक की वापसी में संभव अपवाद

(1) उच्च न्यायालय, धारा 16 में किसी बात के अंवर्वि-ट होते हुए भी, तब बालक की वापसी का आदेश नहीं कर सकेगा, यदि वह व्यक्ति, संस्था या कोई अन्य निकाय, जो बालक की वापसी का विरोध करता है, यह सिद्ध कर देता है कि –

(क) बालक के शरीर की देखरेख करने वाला व्यक्ति, संस्था या कोई अन्य निकाय अपसारण या प्रतिधारण के समय अभिरक्षा के अधिकारों का वस्तुतः प्रयोग नहीं कर रहा था, या अपसारण या प्रतिधारण की सम्मति नहीं दी थी, या बाद में भी मौन सहमति नहीं थी ; अथवा

(ख) इस बात का गंभीर जोखिम है कि बालक की वापसी से उसे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक अपहानि की आशंका बनी रहेगी या अन्यथा उसकी असहाय स्थिति हो जाएगी ।

(ग) वह व्यक्ति, जो अभिकथित रूप से सदो-पूर्ण अपसारण या प्रतिधारण में अंतवर्लित है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 3 में यथापरिभाषित 'घरेल हिंसा' की किसी घटना का भगौड़ा है ।

(2) उच्च न्यायालय तब भी बालक की वापसी का आदेश करने से इनकार कर सकेगा, यदि –

(क) उच्च न्यायालय यह पाता है कि बालक वापस जाने का विरोध कर रहा है और उसने उतनी आयु और उस स्तर की परिवक्वता प्राप्त कर ली है, जिसमें यह समुचित है कि उसकी बात पर विचार किया जाए ।

(ख) मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के संरक्षण के संबंध में अनुरोध किए गए राज्य के मूल सिद्धांतों द्वारा ऐसी वापसी करना अनुज्ञात नहीं है ।

(ग) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समझता है कि उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उपलब्ध कराई गई बालक की सामाजिक पृ-ठभूमि संबंधी जानकारी असमुचित है ।

(3) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन उस संविदाकारी राज्य को, जिसमें किसी बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, उस बालक की वापसी के लिए आदेश करने से केवल इन आधारों पर इनकार नहीं कर सकेगा कि –

(i) भारत के किसी न्यायालय का विनिश्चय, या

(ii) ऐसे बालक की अभिरक्षा के संबंध में भारत के न्यायालय द्वारा मान्यात दिए जाने का हकदार कोई विनिश्चय प्रवर्तन में है :

परंतु उच्च न्यायालय बालक की वापसी के संबंध में ऐसे आदेश पारित करते समय कारण अभिलिखित करेगा ।

18. व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय के भारत में बालक तक पहुंच के अधिकार

(1) किसी संविदाकारी राज्य का समुचित प्राधिकारी या कोई व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय केन्द्रीय प्राधिकारी को आवेदन में विनिर्दि-ट व्यक्ति की उस बालक तक पहुंच के अधिकारों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदन कर सकेगा, जो भारत में है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में होगा, जो विहित की जाए ।

19. किसी व्यक्ति के भारत में बालक तक पहुंच के अधिकारों के प्रयोग के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन

(1) भारत में रह रहे बालक तक किसी व्यक्ति की पहुंच के अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं अन्य साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय प्राधिकारी उन अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में न्यायालय के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां उच्च न्यायालय का उपधारा (1) के अधीन उसे किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति को, जिसने या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाता है, आवेदन में विनिर्दि-ट बालक तक पहुंच का अधिकार है, तो उच्च न्यायालय पहुंच के उन अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, सुनिश्चित करने के लिए, जो आवश्यक समझी जाएं, आदेश कर सकेगा ।

20. विदेशी विधि के सबूत की अपेक्षाओं के लिए छूट

(1) उच्च न्यायालय, यह अभिनिश्चित करते समय कि धारा 3 के अर्थांतर्गत कोई सदो-न अपसारण या प्रतिधारण किया गया है या नहीं, उस विधि की और उन न्यायिक या प्रशासनिक विनिश्चयों की, जिनको बालक के अभ्यासतः निवास-स्थान के राज्य में औपचारिक रूप से मान्यताप्राप्त है या नहीं, उस विधि के सबूत के लिए विनिर्दि-ट प्रक्रियाओं को अपनाए बिना या उन विदेशी विनिश्चयों को मान्यता देने के लिए जो अन्यथा लागू होंगे, अवेक्षा कर सकेगा ।

(2) उच्च न्यायालय धारा 15 के अधीन उस संविदाकारी राज्य को बालक की वापसी के लिए आदेश करने से पूर्व, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, केन्द्रीय प्राधिकरण को निदेश दे सकेगा कि उस संविदाकारी राज्य के, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, संबंधित प्राधिकारियों से ऐसा विनिश्चय या अवधारण अभिप्राप्त करे कि क्या उस बालक का भारत से अपसारण या भारत में प्रतिधारण धारा 3 के अर्थांतर्गत सदो-नपूर्ण है या नहीं ।

21. व्यय

(1) उच्च न्यायालय धारा 15 के अधीन उस संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, आदेश करते समय उस व्यक्ति को, जिसने उस बालक को भारत से अपसारित किया था या जिसने बालक को भारत में प्रतिधारित किया था, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उपगत व्ययों का संदाय करने का आदेश कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट खर्चे में बालक का पता लगाने में हुआ व्यय, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्यवाहियों पर उपगत व्यय और बालक का उस संविदाकारी राज्य को लौटाने में हुआ व्यय सम्मिलित हो सकेगा, जिसमें उस बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है ।

22. न्यायनिर्णयन के अंतर्गत माता-पिता के अभिरक्षा के अधिकारों का अवधारण नहीं

उच्च न्यायालय द्वारा धारा 16 के अधीन किया गया आदेश उस बालक, जिसके संबंध में वह आदेश है, की अभिरक्षा से संबंधित किसी प्रश्न का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय या अवधारण के रूप में नही समझा जाएगा ।

23. संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए प्रबंध

जहां धारा 16 के अधीन उस संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए आदेश किया जाता है, जिसमें बालक का अभ्यासतः निवास-स्थान है, वहां केन्द्रीय प्राधिकरण ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्रशासनिक प्रबंध कराएगा, जो उस संविदाकारी राज्य में बालक की वापसी के लिए किए गए आदेश के अनुसार किए जाने आवश्यक हों ।

अध्याय 6
भारत से अपसारित किए गए बालक की बाबत आवेदन

24. भारत में बालक की वापसी के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन

(1) भारत में कोई व्यक्ति, संस्था या कोई अन्य निकाय, जिसका यह दावा हो कि किसी बालक को किसी संविदाकारी राज्य से ऐसे व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय के अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके सदो-न अपसारित किया गया है या संविदाकारी राज्य में सदो-न प्रतिधारित किया जा रहा है, तो वह केन्द्रीय प्राधिकरण को उस बालक की भारत में वापसी सुनिश्चित कराने के लिए सहायता हेतु आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवदेन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय प्राधिकरण तुरंत उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को, जिससे ऐसे बालक को अभिकथित रूप से अपसारित किया गया है या जिसमें उस बालक को अभिकथित रूप से प्रतिधारित किया गया है, विनिर्दि-ट रीति में, यदि कोई हो, उसकी भारत मे वापसी सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए आवेदन करेगा ।

अध्याय 7
पहुंच के अधिकार

25. भारत में व्यक्ति, संस्था या निकाय के पहुंच के अधिकार

भारत मे कोई व्यक्ति, संस्था या कोई अन्य निकाय का यह दावा हो कि किसी बालक को किसी संविदाकारी राज्य से ऐसे व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय के अभिरक्षा के अधिकारों का भंग करके सदो-नपूर्ण अपसारित किया गया है या संविदाकारी राज्य में सदो-नपूर्ण प्रतिधारित किया जा रहा है, तो वह केन्द्रीय प्राधिकरण को अभिरक्षा के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन कर सकेगा ।

26. भारत में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय के पहुंच के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन

धारा 25 के अधीन पहुंच के अधिकारो के प्रभावी प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने हेतु प्रबंध करने के लिए आवेदन संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को उसी रीति में तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा, जिस रीति में बालक की वापसी के लिए धारा 24 के अधीन आवेदन किया जाता है ।

27. पहुंच के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय

धारा 26 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय प्राधिकरण पहुंच के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग को संचालित या सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध करने मे सहायता करने हेतु उस संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी को, जिससे ऐसे बालक को अभिकथित रूप से सदो-नपूर्ण अपसारित किया गया है या जिसमें ऐसे बालक को अभिकथित रूप से सदो-नपूर्ण प्रतिधारित किया गया है, विनिर्दि-ट रीति में, यदि कोई हो, तुरंत आवेदन करेगा ।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

28. सदो-नपूर्ण अपसारण और प्रतिधारण के लिए दंड

जो कोई स्वयं या अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के निबंधनों के अनुसार किसी बालक को किसी माता-पिता की अभिरक्षा से सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित करता है, तो यह कहा जाता है कि वह सदो-नपूर्ण अपसारण या प्रतिधारण का अपराध करता है, और ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक व-र्ा तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

29. जानबूझकर किए गए दुर्व्यपदेशन या तथ्य छिपाने के लिए दंड

जो कोई, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या धारा 6 के खंड (क) के अधीन बालक के अवस्थान या जानकारी से संबंधित किसी ऐसे तात्विक तथ्य को छिपाकर, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, इस अधिनियम की धारा 15 या धारा 16 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में बालक की सुरक्षित वापसी स्वेच्छया निवारित करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय अपराध का दो-ी होगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

30. तत्परतापूर्वक कार्यवाही करना

(1) संविदाकारी राज्यों के न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारी बालकों की वापसी के लिए कार्यवाहियों में तत्परतापूर्वक कार्य करेंगे ।

(2) यदि संबंधित न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी कार्यवाहियों के प्रारंभ की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किसी विनिश्चय पर नहीं पहुंचता है, तो आवेदक या अनुरोध किए गए राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को स्वयं की प्रेरणा पर या अनुरोध करने वाले राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण के कहने पर विलंब के लिए कारणों का विवरण देने के लिए अनुरोध करने का अधिकार होगा ।

(3) यदि अनुरोध किए गए राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई जानकारी या उत्तर प्राप्त किया जाता है, तो वह प्राधिकरण उसे, यथास्थिति, अनुरोध करने वाले राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को, या आवेदक को प्रेनित करेगा ।

31. रिपोर्ट और विवरणियां

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन एक वार्निक रिपोर्ट अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट के अतिरिक्त अपने कार्यकलापों के वि-नय में ऐसी विवरणियां या अन्य सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में निम्नलिखित का पूर्ण विवरण अंतर्वि-ट होगा –

(क) आवेदकों द्वारा बालकों की वापसी के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए आवेदनों का संक्षिप्त अभिलेख ।

(ख) बालकों की वापसी के लिए किए गए ऐसे आवेदनों की विस्तृत जानकारी, जो फाइल होने की तारीख के पश्चात् एक व-र्ा से अधिक तक लंबित रहे और ऐसे बालकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी तथा ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा की गई विनिर्दि-ट कार्यवाही ।

(ग) देश, जिनसे खंड (ख) में वर्णित बालकों को सदो-नपूर्ण अपसारित किया गया है या उनमें प्रतिधारित किया गया है, देश जो भारत में बालकों की वापसी, आवेदकों की बालकों तक पहुंच के वि-नय में कन्वेंशन में उपवर्णित अपनी बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहे हैं, की सूची ।

(4) केन्द्रीय प्राधिकरण, उस माता-पिता को जिसने सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित बालक के संबंध में सहायता के लिए अनुरोध किया है, सिवाय वहां के जहां मामला केन्द्रीय अभिकरण द्वारा बंद कर दिया गया है और मामला बंद करने के कारण ऐसी सहायता की ईप्सा करने वाले व्यक्ति, संस्था या निकाय को सूचित कर दिए हैं, प्रत्येक छह माह में एक बार सूचित करेगा ।

32. अभिलेखों को बनाए रखना

केन्द्रीय प्राधिकरण आवेदनों, और, या इस अधिनियम के अधीन उसके ध्यान में लाए गए मामलों से संबंधित अभिलेखों का ब्यौरेवार और अद्यतन अभिलेख बनाए रखेगा ।

33. सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या अधिकारी या केन्द्रीय प्राधिकरण प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

34. केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना

केन्द्रीय प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और अधिकारी और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

35. निदेश देने की शक्ति

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में रा-ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीति वि-नयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्राधिकरण के बीच इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता कि कोई प्रश्न रा-ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति वि-नयक प्रश्न है या नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

36. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशि-टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-नयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात :

(क) अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें और निबंधन ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) भारत से या भारत में सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित बालक की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को आवदेन का प्ररूप ;

(ड़) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकार करने से इनकारी की दशा में केन्द्रीय सरकार को अपील करने की प्रक्रिया ;

(च) केन्द्रीय प्राधिकरण को धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन भारत में किसी बालक तक पहुंच के अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने में सहायता के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(छ) संविदाकारी राज्य से या संविदाकारी राज्य में सदो-नपूर्ण अपसारित या प्रतिधारित बालक की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप ;

(ज) किसी संविदाकारी राज्य से सदो-नपूर्ण अपसारित या उसमें प्रतिधारित किसी बालक तक पहुंच के अधिकारो को संचालित या सुनिश्चित करने में सहायता के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन वार्निक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नि-प्रभावी हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या नि-प्रभावी होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

37. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होऔर जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्न की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष
रखा जाएगा ।

.....

निर्देश:

* पाम संघेरा, इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन - ए हार्स रियल्टि
* चियाकोन एट आल, यूएस डिपार्टमेंट आफ जस्टिस, आफिस आफ जुवेनाइल जस्टिस एंड डेलिनक्यून्सी प्रोग्राम, इसूज इन रिसोलविंग केसिज आफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन बाए पेरेंटस, 2001
* नीता मिश्रा, इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शान एंड डोमस्टिकि वायलेंस: वाई चिल्ड्रन आर सेंट बेक टू वायलेंट होम्स, बिसनेस स्टेंड्रड, 2016.
* एडम पाइप, वट डू वी मीन बाए बेस्ट इंट्रस्टस आफ ए चाइल्ड, 2014.
* अनिल मल्होत्रा, राइटस आफ अबडक्टिड चिल्ड्रन, द हिन्दू, 2016
* अनिल एंड रंजीत मल्होत्रा, इंडिया, इंटर कंटरी पेंरंटल चाइल्ड रिमुअल एंड द ला ।
* यूरोपियन पार्लियामेंट, डायरेक्टोरेट-जनरल हचज इंटरनल पोलिसिज, पोलिसी डिपार्टमेंट सी : सिटिजन्स राइटस एंड कांस्टीच्यूशनल अफेयरस सिविल लिबर्टिज, जस्टिस एंड होम अफेयर्स क्रास-बार्डर पेरेंटल चाइल्ड अबडक्शन इन द यूरोपियन यूनियन, 2015.
* गोल्डबर्ग एंड शेट्टी, रिप्रेजेंटिंग बार्टर्ड रेस्पोंडेन्टस अंडर द हेग कन्वेंशन आन द सिविल एस्पेक्टस आफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन, बार्कले, 2015.
* यूएस डिपार्टमेंट आफ स्टेट, हेग कन्वेंशन आन द सिविल एस्पेक्टस आफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन, लीगल एनालाइसिस आफ द कन्वेंशन, 51 फेडरल रजिस्टर 10494.
* यूएस डिपार्टमेंट आफ स्टेट, रिपोर्ट आन कम्पलायंस विद द हेग कन्वेंशन आन द सिविल अस्पेक्टस आफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन, 2007.

* वियनर, इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन एंड कौंसिल फार चिल्ड्रन - फोलाविंग स्विटजरलैंड एग्जेम्पल इन हेग अबडक्शन केसिज, अमेरिकन यूनिवसिर्टी ला रिव्यू, 2008.
* हेनरी ब्रूकमेन, हाव इंटरनेशनल इसूज फरदर कोम्लिकेट चाइल्ड कस्टडी केसिज, टेलिग्राफ 2012.
* ऐलिसा पिरेज-वेरा एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट टू द हेग कन्वेंशन आन द चाइल्ड एस्पेक्टस आफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन ।